न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
उपस्थितः कमालुद्दीन : उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O.Code U.P. 2690
UPET010009132016

सत्र परीक्षण संख्या– 40/2016

उत्तर प्रदेश राज्य

................................अभियोजन।

–बनाम–

1– अभिषेक उर्फ रिंकू पुत्र ग्रीशचन्द्र
2– ग्रीश चन्द्र पुत्र रूपनरायन
3– श्रीमती गीता पत्नी ग्रीशचन्द्र
निवासीगण–गढ़ी रानी साहिबा, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा।

..........................अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–253/2015
धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना– राजा का रामपुर, जनपद– एटा।

संक्षिप्त विवरण	
सत्र परीक्षण संख्या	40/2016
मुकदमा अपराध संख्या	253/2015
धारा	498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना	राजा का रामपुर
अभियुक्त	अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री सर्वेश कुमार चौहान, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
प्रतिनिधित्व (अभियुक्तगण)	श्री शलभ पालीवाल, विद्वान अधिवक्ता
घटना की तिथि	23/24.08.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	25.08.2015
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–72/2015 दिनांक 10.10.2015
प्रसंज्ञान की तिथि	26–11–2015
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	19–07–2016
निर्णय एवं दोषसिद्धि की तिथि	08–07–2026, 10–07–2026
निर्णय का परिणाम	दोषसिद्ध

Additional Sessions Judge,
Court No.03, Etah.

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.07.10 15:49:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

-निर्णय-

(आज दिनांक 08-7-2026 को घोषित)

1- अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता का विचारण मुकदमा अपराध संख्या-253/2015 धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत थाना राजा का रामपुर, जिला एटा द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने व सत्र सुपुर्दगी के आधार पर किया गया है।

2- इस सत्र विचारण से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि वह चंद्रशेखर पुत्र मौजीराम ग्राम लधौली थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज का मूल निवासी है। उसने अपनी बहन निशा की शादी दिनांक 18.05.2014 को पर्याप्त दान दहेज देकर अभिषेक उर्फ रिंकू पुत्र ग्रीशचन्द्र तिवारी निवासी मौहल्ला गढ़ी रानी साहिबा राजा का रामपुर थाना राजा का रामपुर के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन निशा को पति अभिषेक उर्फ रिंकू, ससुर ग्रीशचन्द्र पुत्र रूपनरायन व सासु गीता व पुत्री पिंकी, रिंकी, अंजली व आशू, टिंकू द्वारा अल्टो गाडी की मांग को लेकर काफी तंग परेशान किया जाने लगा तथा कहते थे तुमको मारकर दूसरी शादी कर लेंगे तथा उसकी बहन ने उसकी शिकायत टेलीफोन द्वारा बतायी तो वह स्वयं व मोहित पुत्र प्रमोद कुमार मिश्र निवासी मिलिक इलाही थाना राजा का रामपुर एटा तथा अपने गांव के राजीव कुमार पुत्र श्यामस्वरूप व विवेक कुमार पुत्र रामदुलारे आदि लोगो के साथ अभिषेक व उनके परिवारवालों को समझाया बुझाया और बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वह अल्टो कार दे सके शादी के समय जो तय हुआ वो सारा सामान व नगदी आपको दे दिया अब उसकी बहन को परेशान न करो और ठीक से रखो परन्तु ये लोग नहीं माने और उसकी बहन को लगातार परेशान करने लगे, जिसकी सूचना उसकी बहन ने बार-बार मोबाइल से उसे व उसके घरवालों को बताती रही तो वह दिनांक 20.7.2015 को विदा कराने राजा का रामपुर आया तो ससुरालीजनों ने विदा नहीं किया और कहा कि रक्षाबंधन पर विदा करेंगे। वह दिनांक 28.08.2015 को पुनः आने का वादा करके चला गया। तब उपरोक्त सभी ससुरालीजनों ने योजना बनाकर उसकी बहन को आज दिनांक 23/24.08.2015 की रात में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया तथा सभी घरवालो ने योजना बनाकर निशा को लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराकर वहां से भाग गए। जब रिश्तेदारों द्वारा सूचना मिलने पर वह अपने गांव के कई लोगों व रिश्तेदारों के साथ लोहिया अस्पताल में पहुंचे तो उसकी बहन निशा अस्पताल में मरी हुयी मिली, जिसके शव का पोस्टमार्टम कराने के पश्चात शव के साथ थाने आया है। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3- वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दिनांक 25-08-2015 को समय 00:10 बजे थाना राजा का रामपुर, जनपद-एटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-253/2015, मुकदमा अपराध संख्या-253/2015 अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तगण अभिषेक, ग्रीशचन्द्र, गीता, पिंकी, रिंकी, कु० अंजली, आशू एवं टिंकू के विरुद्ध दर्ज किया गया।

4- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त इस मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता के विरूद्ध धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 26-11-2015 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5- विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता का प्रकरण दिनांक 30-01-2016 को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा प्रकरण का स्थानान्तरण किये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण का प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

6- पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 19-07-2016 को अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता के विरुद्ध धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक धारा 302/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये, जिसे पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया तथा अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य पी०डब्लू०–1 लगायत पी०डब्लू–7 को परीक्षित कराया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

अभियोजन साक्षी का क्रमांक	अभियोजन साक्षी का नाम	विवरण
पी०डब्लू०–1	चन्द्रशेखर	वादी/शिकायतकर्ता
पी०डब्लू०–2	मौजीराम	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू०–3	राजीव कुमार	स्वतंत्र साक्षी
पी०डब्लू०–4	डॉ० नीरज कुमार	चिकित्सक
पी०डब्लू०–5	सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक आशाराम अहरवार	विवेचक
पी०डब्लू०–6	सेवानिवृत्त एस०डी०एम० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	पंचनामाकर्ता
पी०डब्लू०–7	हेड कां० विकास बाबू	तत्कालीन सी०सी०

8– अभियोजन के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत कर साबित किये हैंः–

क्रम सं०	प्रपत्र का नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।
1.	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू0–01 वादी चन्द्रशेखर
2.	फर्द कागज संख्या 9 अ	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू0–01 वादी चन्द्रशेखर
3.	शव विच्छेदन रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू0–04 डॉ० नीरज कुमार
4.	नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–05 विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक आशाराम अहरवार
5.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–05 विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक आशाराम अहरवार
6.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–05 विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक आशाराम अहरवार
7.	पंचायतनामा	प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–06 सेवानिवृत्त एस०डी०एम० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
8.	चिटठी सी०एम०ओ०	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–06 सेवानिवृत्त एस०डी०एम० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
9.	चालान नाश	प्रदर्श क–9	पी०डब्लू०–06 सेवानिवृत्त एस०डी०एम० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
10.	फोटो नाश	प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–06 सेवानिवृत्त एस०डी०एम० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
11.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–07 तत्कालीन सी०सी० विकास बाबू
12.	जी०डी० रपट नं०–2	प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–07 तत्कालीन सी०सी० विकास बाबू

9– अभियुक्तगण का कथन धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिनांक 19–01–2026 को अंकित किया गया है। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी पी०डब्लू0–01 के कथानक को गलत बताया है तथा हमने मृतका के परिवारीजन को सूचना दी और लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना बताया है। साक्षी पी०डब्लू०–02 के कथानक को गलत एवं झूॅठा बयान देना बताया है। साक्षी पी०डब्लू०–03 के कथानक को गलत एवं झूॅठा बयान देना तथा मृतका के सास, ससुर ने बताया व अस्पताल में भर्ती कराना बताया है। साक्षी पी०डब्लू०–04 के कथानक को झूॅठी रिपोर्ट तैयार करना बताया है। साक्षी पी०डब्लू०–05 के कथानक को थाने पर बैठकर लिखा पढ़ी कर सारी कार्यवाही कर गलत आरोप पत्र प्रेषित करना बताया है। साक्षी पी०डब्लू०–06 के कथानक को रिपोर्ट दर्ज होने से पहले पंचायतनामा की कार्यवाही करना बताया है। साक्षी पी०डब्लू०–07 के कथानक को एण्टी टाईम रिपोर्ट दर्ज करना बताया है। गवाहों के विरूद्ध गवाही के सम्बन्ध में रंजिश के कारण गवाही देना बताया है। अभियोग को रंजिश व गलत फहमी के कारण चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है तथा कहा है कि मृतका निशा की शादी उसके पिता व भाई ने उसके मर्जी के विरूद्ध की, जिससे परेशान होकर उसने स्वयं आत्महत्या कर ली और उसे बचाने में सास, ससुर भी जल गये व ससुर ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। इसकी सूचना उसके मायके वालों को दी।

10– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में **डी०डब्लू०–1 सुरेश सिंह राठौर** को परीक्षित कराया गया है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

12– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी0 डब्लू0–01 वादी चन्द्रशेखर** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बहिन मृतका का नाम निशा था। निशा की शादी उसने दिनांक 18.05.2014 को हाजिर अदालत मुल्जिम अभिषेक उर्फ रिंकू निवासी मोहल्ला गढ़ी रानी साहिबा कस्बा राजा का रामपुर के साथ दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद से उसकी बहिन निशा से निशा का पति अभिषेक, ससुर ग्रीश चन्द्र, व सास गीता, पिन्की, रिंकी व कु० अंजली व टिंकू, आशू ने अल्टो गाड़ी की मांग की और मांग के कारण आये दिन निशा के साथ गाली, मारपीट करते थे। इसकी शिकायत निशा ने फोन द्वारा उससे व उसके मां–बाप से की थी। वह व उसके पिताजी, गांव के मोहित निशा की ससुराल उन्हें समझाने गये, लेकिन हमने कहा कि हम अल्टो कार देने की स्थिति में नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परन्तु यह लोग नहीं माने। निशा को लगातार परेशान अभिषेक वगैरह करते रहे, जिसकी सूचना लगातार निशा हमको लगातार मोबाइल से देती रही। वह दिनांक 20.07.2015 को निशा को विदा कराने गया था। निशा को ससुरालीजनो ने उसके साथ नहीं भेजा था और कहा कि रक्षा बंधन के बाद दिनांक 28.07.2015 के बाद विदा करेंगे। उसके बाद वह अपने घर वापस आ गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पास फोन किया कि तुम्हारी बहिन निशा को जलाकर खत्म कर दिया है। दिनांक 24.08.2015 को खत्म कर दिया। निशा को डॉ० लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराना बताया है। सूचना पर वह, उसके पिता, भाई व परिवार के लोग लोहिया अस्पताल पहुँचे। निशा वहाँ मृत पड़ी हुयी मिली। निशा का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और निशा के शव को हम लोग अपने गांव दाह संस्कार हेतु लेकर आये थे। घटना की तहरीर रिपोर्ट उसने सत्य प्रकाश निवासी इलाही से लिखायी थी। यह तहरीर कागज संख्या 5 अ स्वयं बोलकर लिखायी थी। सत्य प्रकाश ने तहरीर लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनायी थी, तब उसने उस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किये। गवाह ने इस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर तस्दीक किये। तहरीर कागज संख्या 5 अ पर प्रदर्श क–1 डाला गया। सी०ओ० पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूंछताछ की थी। पुलिस ने उसके सामने मिट्टी के तेल की कट्टी, जले हुये कपड़े पुलिस ने कब्जे में लिये थे। पुलिस ने उसके सामने कोई लिखा पढ़ी नहीं की, फिर स्वयं कहा कि एक कागज पर लिखा पढ़ी की थी। उस पर उसके हस्ताक्षर कराये गये। गवाह ने फर्द कागज संख्या 9 अ पर अपने हस्ताक्षर पहचाने, इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

13– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसके पिताजी का नाम मौजीराम मिश्रा है, चलने फिरने की स्थिति में है एवं बोलते–चालते भी है। उसके घर के मुखिया पिताजी व वह दोनो लोग है। उसकी चार बहिन वीना, सीमा, पूनम व निशा थी। इस समय दो जिन्दा है। निशा व वीना खत्म हो गयी। वीना गुर्दा खराब होने के कारण मरी थी। वीना की मौत के बाद दहेज हत्या की रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। वीना

पाण्डेय के पति का नाम कौशल पाण्डेय था और यह बिल्सड़ पछाया में ब्याही थी। वीना की मौत 15 वर्ष पूर्व हुयी थी। वह खेती का काम करता है। पिताजी के नाम 28 बीघा जमीन है। उसके माता–पिता के नाम कुल 45 बीघा जमीन है। वह अपने पिता का अकेला लड़का है। उसके पास कोई भी वाहन नहीं है। घटना के समय उसके घर एक मोबाइल था। उसका नम्बर 9536630351 था, यह बन्द हो गया। निशा के पास का मोबाइल नम्बर उसे नहीं मालूम। यदि मोबाइल फोन पर किसी दूसरे मोबाइल से फोन किया जाये तो स्क्रीन पर उसका नम्बर आ जाता है। निशा उसको व उसके घरवालो को फोन करती थी। किस नम्बर से करती थी, उसे याद नहीं है। उसे जब धोखे से फोन मिल जाता था तब घर पर फोन कर देती थी। कितनी बार फोन आया होगा, उसे ध्यान नहीं है। शादी के बाद उसकी बहिन मुश्किल से 2 माह मायके में रही होगी। बार–बार जब तंग करते थे, तभी फोन करती थी। जब–जब उसकी बहिन को तंग किया जाता है तब–तब उसे धोखे से फोन नहीं मिल जाता था, परन्तु जब वह समय पाती थी, फोन करती थी। फोन 15 दिन बाद आता था, महीना भर बाद आता था, उसे ध्यान नहीं है। लगातार बार–बार फोन नहीं आता था, उसने अपनी तहरीर में यह बात लिखवायी थी कि उसकी बहिन को लगातार परेशान करते थे, जिसकी सूचना उसकी बहिन लगातार मोबाइल पर बताती थी। उसे याद नहीं है कि घटना होने से पहले आखिरी बार फोन कब मिला। उसे घटना की सूचना प्रातः 5 से 6 बजे के बीच मिली थी। उसको यह सूचना दी थी कि उसकी बहिन खत्म हो गयी और उसे ले गये। वह अपने घर से राजा का रामपुर गया, वहाँ पता चला कि लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद ले गये। टाइम का उसे ध्यान नहीं है व नाम पता कि किसने बताया वहाँ लोग कह रहे थे। वह उसके बाद लोहिया अस्पताल मय साथियों के गया। राजा का रामपुर में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। जहाँ सूचना मिली वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है और लोग कह रहे थे। इस घटना की रिपोर्ट उसने सोच समझकर लिखवायी थी। उसके गांव की लड़की अभिषेक के पड़ोस में व्याही है। उसे वह रिश्तेदार मानता है। उसे अपने गाँव की लड़की का नाम नहीं मालूम। उसके ससुरालवालो के नाम भी नहीं मालूम। उसने रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखायी कि सूचना मिलने पर वह राजा का रामपुर गया वहाँ सौ–पचास लोग उसे खड़े मिले। उसने विवेचक को भी यह बात नहीं बतायी। यह कहना सही है कि उसके गाँव सुबह 5 से 6 बजे के बीच जो फोन आया, उसमें लोहिया अस्पताल जाने वाली बात नहीं बतायी। उसने दिनांक 11.12.2017 को न्यायालय में बयान दिया था कि "किसी अज्ञात व्यक्ति ––––– बताया"। यह बयान हो सकता है। उसने इसलिये दिया, हो सकता है कि वह उस वक्त डिस्टर्ब हो गया है। ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब होने के बाद वह गलत बात बोल जाता है। उसने दिनांक 11.12.2017 को बिल्कुल झूंठ नहीं बोला। उसको उसकी बहिन की लाश लोहिया अस्पताल में मौर्चरी में मिली थी। उसे आज ध्यान न है कि उसकी बहिन को अस्पताल में भर्ती किस व्यक्ति ने कराया था। वह यह जानता है कि अस्पताल में किसी की तबियत को भर्ती उसकी जान बचाने के लिये भर्ती कराया जाता है। गिरीश चन्द्र व अभिषेक ने अपने बचाव के लिये अस्पताल में भर्ती कराया था। यह कहना गलत है कि पोस्टमार्टम होने बाद एम्बुलेन्स नं UP76K4302 से लाश को लाया गया था। बल्कि वह अपनी गाड़ी पिकअप से लाया था। लाश सुपुर्दगी में उसने ली थी। लाश उसे दिनांक 24.08.2015 को मिली थी। समय उसे ध्यान नहीं। उसे नहीं मालूम कि उसकी बहिन को बचाने में निशा के सास ससुर के हाथ भी जले थे या नहीं। जब उसने अपनी बहिन की शादी की थी तब अभिषेक नौकरी कहां करते थे। शादी से पहले अपनी बहन को बताया था कि वह बहुत अच्छा लड़का है। बाहर नौकरी करता है, वही रहेगा और तुम्हे साथ रखेगा। शादी के बाद अभिषेक की नौकरी छूट गयी और वह राजा के रामपुर ननिहाल में रहने लगा। अभिषेक की नौकरी छूटने के बाद भी उसकी बहिन ने निशा ने यह शिकायत नहीं की तुमने झूंठ बोलकर मेरी शादी की कि अभिषेक राजा के रामपुर में ही रहने लगा है। उसकी उम्र 38 वर्ष है, शादी शुदा है, उसके तीन बच्चे है, तीनो पढ़ते है। एक कक्षा 7, एक कक्षा 8 व एक कक्षा 9 में पढ़ते है। नवीं कक्षा में अमन मिश्रा पढ़ता है। उस पर हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि विषय है। उसकी पत्नी इंटर तक पढ़ी–लिखी है। यह नहीं मालूम किस सन् में किया है। उसके पिता कक्षा आठ तक पढ़े है। उसके भाई कोई नहीं है। सारा हिसाब–किताब पिता व वह दोनों रखते है। घर में कोई आयोजन करते है तो दोनों की सहमति से करते है। उसने इस मुकदमा की रिपोर्ट जब करायी थी, तब अपने पिता से सहमत ली थी। उसने फर्रुखाबाद में ही अपने पिता से राय मशवरा किया था। सहमति लेने के बाद उसने फर्रुखाबाद में रिपोर्ट लिखना शुरू नहीं किया। उसने रिपोर्ट राजा का रामपुर में लिखना शुरू किया। रिपोर्ट लिखना कोतवाली थाना के सामने बैठकर लिखना शुरू किया। पुलिस वाले थाने में मौजूद थे, जहाँ बैठकर रिपोर्ट लिखी गयी, वहाँ पुलिस वाले मौजूद

Additional Sessions Judge,
Court No.03, Etah.

थे। उसने इससे पहले कभी कोई रिपोर्ट लिखी नहीं। उसने रिपोर्ट लिखाने के लिये पुलिसवालों से नहीं पूँछा। उसने रिपोर्ट बोली थी, लिखने वाले दूसरे थे, लिखने वाले का नाम सत्यप्रकाश पुत्र पिता का नाम ध्यान नहीं है। सत्यप्रकाश मिलिक इलाही के रहने वाले है। राजा के रामपुर से मिलिक इलाही दो किलोमीटर दूर है और उसके गाँव से 35 किलोमीटर दूर है। हम लोग राजा के रामपुर पहुंचे थे तो वे आ गये थे, हमने उन्हें बुलाया नहीं था। सत्यप्रकाश उसके बहनोई अमित मिश्रा के भाई लगते है। अमित को उसकी बहिन पूनम ब्याही है। अमित कुमार मिलिक इलाही के रहने वाले है। अमित कुमार का गाँव राजा के रामपुर के पास रूदायन स्टेशन है, उसके पास है। मिलिक इलाही को अलैयापुर भी कहते है। अभिषेक के मकान से अलैयापुर 200–250 मीटर की दूरी पर नहीं है, बल्कि दो–ढाई किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। अलैयापुर से दक्षिण दिशा में थाना राजा का रामपुर है। वह अलैयापुर आता–जाता है। वह अमित के छोटे भाई मोहित मिश्रा को जानता है, मोहित मिश्रा ने अभी शादी नहीं की है। मोहित मिश्रा से छोटे का नाम सुमित है। सुमित से छोटे और कोई भाई नहीं है यह केवल तीन भाई है, सुमित की शादी नहीं हुयी है। उसे मोहित व सुमित की उम्र नहीं मालूम। निशा और अभिषेक की शादी में उसके बहनोई अमित कुमार शामिल हुये थे। वह ग्रीश अभियुक्त की पुत्रियों के नाम जानता है। उनकी सबसे बड़ी लड़की का नाम रश्मि है। दूसरी लड़की का नाम उसे पता नहीं। तीसरी का नाम भी उसे याद नहीं है। ग्रीश की जिन लड़कियों की शादी हो गयी है, उनके नाम उसे याद नहीं है। अभिषेक के छोटे भाई को आशू कहते है। आशू के छोटे भाई का नाम टिंकू है। उसकी बहिन की शादी के समय उसने उन्हें देखा था उस समय इन दोनों की उम्र करीब एक की 20 वर्ष व एक की करीब 22 वर्ष होगी। उसे उसकी बहिन की सूचना सुबह मिली थी, टाइम का उसे पता नहीं। सूचना दिनांक 23.08.2015 मिली थी। सूचना उसे किसी के मोबाइल से मिली थी। मोबाइल पर कोई व्यक्ति बात करे तो नम्बर आता है। उसने वो नम्बर विवेचक को नहीं बताया था। वह उस समय बहुत परेशान था इसलिये वो फोन नम्बर विवेचक को नहीं बता पाया। इस फोन नम्बर का ज्ञात नहीं है। वह फर्रुखाबाद सूचना पाकर कितने बजे पहुँच गये थे अब उसे ध्यान नहीं है। वह दिनांक 24.08.2015 को ही फर्रुखाबाद पहुँच गया था। उसे अभिषेक के पिता का नाम मालूम था, जो ग्रीश है। उसे अभिषेक की माता का नाम इस समय याद नहीं है। अस्पताल में यह लोग नहीं मिले थे, इसलिए हाथा पायी होने का प्रश्न ही नहीं है। उसकी बहिन निशा की डेड बॉडी अस्पताल में नहीं थी, मोर्चरी में रखी थी। मोर्चरी बहिन को मृत पाये जाने के बाद उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। बहिन को मृत देखकर भी हम फर्रुखाबाद थाने में रिपोर्ट करने नहीं गये थे। उसने सोचा था कि पहले हम रिपोर्ट करेंगे लेकिन फर्रुखाबाद में रिपोर्ट नहीं की। अस्पताल में पुलिस कैसे आयी उसे नहीं मालूम लेकिन यह पता है कि पुलिस आ गयी थी। उसे नहीं मालूम कि अस्पताल में फर्रुखाबाद में पुलिस आ गयी थी। उसे यह नहीं पता कि उसके पहुँचने के बाद देर बाद वहाँ आ गयी थी और कितनी देर रुकी थी। उसने फर्रुखाबाद अस्पताल में पुलिस के आने के बाद उन्हें बताया था कि उसकी बहिन की हत्या मुल्जिमों ने कर दी है। उसने पुलिस को अभिषेक, ग्रीश चन्द्र, गीता, आशू, टिंकू, अंजली और भी बताये थे, इस समय याद नहीं। उसने उन्हें यह भी बताया था कि उसकी बहिन की हत्या कैसे हुई थी। दरोगा जी ने वहाँ पर खुद नहीं लिखा था और उसने किसी कागज पर दस्तख्त किये थे। हम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम होने बाद लेकर आये थे। हम निशा की पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 11 बजे पहुँच गये थे। डेड बॉडी को हम थाने लेकर पहुँचे थे। पुलिस ने उससे ऐसा नहीं कहा कि दाह संस्कार करके आओ हम डेड बॉडी को लेकर थाने से 12 बजे के बाद गये थे। वह यह नहीं बता सकता था कि निशा की डेड बॉडी को लेकर 12:30 बजे 1 बजे उसे समय की याद नहीं। दिनांक 25.08.2015 को पुलिस ने उसके बयान लिये थे। थाने पर भी बयान लिये थे फिर जब हम मौका दिखाने गये थे, तब भी बयान ले लिये थे। उसके बयान लेने से पहले उसे किसी व्यक्ति ने नहीं बताया था कि उसकी बहिन की हत्या किन–किन लोगों ने की थी। धोखे से हत्या की थी, उसे मोबाइल पर भी यह बात नहीं बतायी थी कि किन–किन लोगों ने हत्या की थी। मोबाइल पर भी उसे नहीं बताया था कि किन–किन लोगों ने हत्या की थी। गाँव के लोगों के समझाने बुझाने के किसी अधिकारी को रिपोर्ट नहीं की थी। गाँव के लोग समझाने व परिवार के लोगों के कहने से गये थे। यह बात उसने रिपोर्ट में लिखा दी थी क्यों नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता उसे ध्यान नहीं उसने यह बात विवेचक को बतायी थी, नहीं लिखी हो तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उसे उसकी बहिन पूनम जो राजा के रामपुर के गाँव अरैया में ब्याही थी। उसने उससे कभी यह शिकायत कभी नहीं की थी कि उसके ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के कारण परेशान नहीं करते थे। पूनम का एक देवर मोहित था। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। यह कहना

गलत है कि उसकी बहिन निशा पूनम के देवर मोहित शादी के पहले से ही प्यार करती थी। यह कहना भी गलत है कि हम लोगों ने निशा की इच्छा के विरुद्ध शादी अभिषेक से कर दी थी। यह कहना गलत कि निशा को परेशान करते थे। यह कहना भी गलत है कि अभिषेक के शादी करने बाद भी अक्सर वह बिना बताये अपनी मर्जी से मोहित से मिलने अलैयापुर जाती थी। यह कहना भी गलत है कि ग्रीश वगैरहा के मना करने के बावजूद भी वह उसने मोहित से मिलना बन्द नहीं किया। यह कहना भी गलत है कि इसी बात से दुखी होकर उसने मिट्टी का तेल डालकर सुबह ही आग लगा ली हो। यह भी कहना गलत है कि ग्रीश ने उसे बचाने की कोशिश की है कि जिससे उनके दोनों हाथ जल गये है। उसे नहीं पता कि ग्रीश भी उसी अस्पताल में अपने ईलाज के लिये भर्ती रहे थे या नहीं। यह कहना भी गलत है कि उसने अपने पिता से मशवरा करके फर्जी रूप से निशा को अल्टो कार की खातिर जला देने का आरोप अभिषेक व उसके परिवार पर लगाया है। यह कहना भी गलत है कि आज न्यायालय में झूंठा बयान दे रहा है।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0 डब्लू0–02 मौजीराम** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बेटी निशा की शादी 18.05.2014 को अभिषेक उर्फ रिंकू पुत्र ग्रीश चन्द्र निवासी मौ० गढ़ी रानी साहिबा कस्बा व थाना राजा का रामपुर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया। उसकी बेटी निशा के पति अभिषेक, ससुर ग्रीश चन्द्र, सास गीता, ननदें पिंकी, रिंकी, अंजली व आंशू एवं रिंकू उसकी पुत्री निशा को अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार की मांग को लेकर मारपीट करके मानसिक रूप से तंग व परेशान करते थे। उसकी पुत्री मारपीट व तंग व परेशान किये जाने पर उसे व उसके घर वालों को सूचना दी थी। निशा की सूचना पर उसका पुत्र चन्द्रशेखर, मोहित, राजीव, विवेक आदि को लेकर निशा की ससुराल गये और निशा की ससुराल वालों को उसके पुत्र ने समझाया कि अब हमारी स्थिति अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार देने की नहीं है। इस पर निशा की ससुराल वालों ने कोई बात नहीं मानी और निशा को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अभिषेक वगैरहा निशा की मारपीट व तंग व परेशान करते रहे। दिनांक 20.07.2015 को रक्षाबंधन से पूर्व उसका पुत्र चन्द्रशेखर निशा को विदा कराने गया तो अभिषेक व उसके घर वालों ने कह दिया कि रक्षा बंधन वाले दिन विदा करेंगे। उसका पुत्र वगैर विदा कराये वापस चला गया। दिनांक 23/24.08.2015 की रात में अभिषेक व उसके घरवालों ने योजना बनाकर मिट्टी का तेल डालकर निशा को जला दिया और लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती करा दिया और भाग गये। हमारे घर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया गया कि निशा को मिट्टी का तेल डालकर उसकी ससुराल वालों ने जला दिया है और लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती करा दिया है। वह व उसके परिवार के गॉव वाले डीसीएम करके लोहिया अस्पताल पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि निशा अस्पताल में मरी हुई मिली। निशा का पंचायतनामा व पोस्मार्टम फर्रुखाबाद में ही हुआ था। हम लोग निशा की लाश अपने घर लाये थे। अन्तिम संस्कार किया था। इस घटना की रिपोर्ट उसके पुत्र चन्द्रशेखर ने सत्यप्रकाश से बोल–बोल कर लिखायी थी। इस घटना के सम्बन्ध में सी०ओ० साहब ने उसका बयान लिया था।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसकी बेटी मृतका निशा के पति व ससुरालजन उसको इलाज के लिए फर्रुखाबाद गये थे। वह नहीं बता सकता किस आदमी ने उसे निशा की मौत की सूचना दी। वह कोई बाहरी व्यक्ति था। यह सूचना उसके बेटे के मोबाइल पर थी। दिनांक 23.08.2000 फिर कहा दिनांक 23.08.2015 की सुबह 4 बजे उसके बेटे ने निशा की मौत की सूचना उसे दी। वह सुबह घर पर उठा हुआ था। फर्रुखाबाद के लिए वह व उसके साथ 40 व्यक्ति लेकर डीसीएम से जो उसके खुद की थी, राजा का रामपुर निशा के ससुराल पहुँचे। वहाँ पर बहुत से आदमी उनके दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि अपनी बचत के लिए निशा को फर्रुखाबाद अस्पताल ले गये। उसे अपने साथ गये 40 लोगों के नाम मालूम है। उन्हें अदालत में पेश कर सकता है। सी०ओ० साहब ने उसके व 40 लोगों के बयान लिये थे। उसने घटना की रिपोर्ट अगले दिन 24 तारीख को उसके लड़के चन्द्रशेखर ने करी थी। उसे फर्रुखाबाद अस्पताल में बेटीजन के ससुराल वाले नहीं मिले। कोठरिया में लाश के रुप में उसने अपनी बेटी निशा को पाया। सीधे हम अस्पताल में वही पहुँचे जहां बिटिया की लाश थी। हमको सूचना यह मिली है कि उसकी बिटिया मर गई और उसे फर्रुखाबाद अस्पताल में ले गए। वह अस्पताल में सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंचा और शाम को 6 बजे आया। इस दौरान पुलिस को किसने बुलाया, उसे जानकारी नहीं। पुलिस ने उससे पूंछताछ की तो उसने बताया कि बिटिया को आग लगाकर मारा गया। अपनी बेटी निशा की लाश को

लेकर फर्रुखाबाद से थाना राजा का रामपुर लेकर आये थे और रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह बेटी की लाश को लेकर राजा का रामपुर गए थे, तहरीर दी थी, जिसकी रिपोर्ट हमें अगले दिन 25 तारीख को मिली। उसके बेटे ने रिपोर्ट कहा और कैसे लिखी उसे जानकारी नहीं है। वह अपनी बेटी की लाश के पास बैठा रहा। उसका बेटा चन्द्रशेखर रिपोर्ट संबंधी क्या कार्यवाही की उसे जानकारी नहीं थी। वह थाने पर करीब 2 घण्टे रुका। दाह संस्कार उसके गांव में हुआ। घटना की सूचना मिलने पर वह बेटी की ससुराल राजा का रामपुर गया, फिर फर्रुखाबाद अस्पताल गया। ससुराल में उसे कोई नहीं मिला सूचना मिली कि उसको लेकर फर्रुखाबाद अस्पताल ले गए। उसकी बेटी की शादी को लगभग 06 वर्ष हो चुके थे। लड़की के मरने से पूर्व उसने लिखित में मुल्जिमान की किसी उच्च अधिकारी तथा थाने में कोई शिकायत नहीं की थी। मरने के करीब एक महीने पहले इन्ही (मुल्जिमान) के घर पंचायत जोड़ी थी। उसके परिवार के अलावा उसके साथ पंचायत में सुभाष, वीरेन्द्र, अवधेश, राजीव, विवेक, कल्लू, एवं हरीश आदि लोग गये थे। उसने पुलिस वालो को यह बात बताई थी कि वह पंचायत में उक्त लोगों का साथ लेकर गया था। पंचायत उसने एक बार जोड़ी थी, जो उक्त पंचायत थी। इससे पहले उसने मुल्जिमान के यहाँ कोई पंचायत नहीं की थी। उसने अपने घर पर भी कोई पंचायत नहीं की थी। इस पंचायत से पूर्व उसकी पुत्री द्वारा शिकायत की गई थी। यह कहना गलत है कि इस पंचायत से पूर्व उसकी लड़की द्वारा कोई शिकायत न की गई थी इसलिए कोई पंचायत न की गई थी। शादी व भावरों के समय कोई पंचायत नहीं हुई थी, बाद में परेशान किया था। उसकी बिटिया निशा की शादी के समय उम्र करीब 15–16 साल थी। उसे अभिषेक की उम्र नहीं मालूम। वह अपनी बिटिया के लिए करीब 01 वर्ष से रिश्ता ढूँढ रहा था। निशा से बड़ी वीना थी। निशा से वीना 04 साल बड़ी थी। उसे ध्यान नहीं है कि सीमा निशा से कितनी बड़ी थी। सीमा और वीना की शादी निशा से पहले हुई थी। उसे यह भी नहीं पता कि वीना की शादी निशा की शादी से कितने साल पूर्व हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं कि वीना की शादी निशा की शादी से कितने दिन पहले हुई थी। उसे निशा की शादी की तारीख याद नहीं और उसे किसी बच्चे की शादी की तारीख याद नहीं। उसका फर्रुखाबाद अस्पताल में मुल्जिमान से कोई झगड़ा नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ उसे कोई मिला नहीं। इस समय मुल्जिमान फर्रुखाबाद अस्पताल में मौजूद थे और कहा किस मुल्जिमान का इलाज चल रहा था, उसे नहीं मालूम। उसे तो अस्पताल में अपनी पुत्री की लाश मिली थी, उसे नहीं पता उसके इलाज के पैसे अस्पताल में कितने जमा किये। जब वीना और सीमा की शादी हुई थी तब उनकी उम्र 15–16 साल से ज्यादा थी। उसकी बेटी निशा कक्षा 10 तक पढ़ी थी। उसे अपनी बेटी की 10वी की मार्कशीट मिल जाएगी तो दाखिल कर देगा। उसे नहीं पता कि उसकी जन्मतिथि स्कूल में किसने लिखायी। उसने अपनी बेटी सीमा व वीना की शादी जब वह 18 साल से बड़ी थी, तब की थी। वीना की शादी बिल्सड़ से हुई है। दामाद का नाम कौशल है। उसका (कौशल) का कोई भाई मोहित नहीं है। उसकी बेटी पूनम का देवर मोहित है। उसकी कोई शादी व रिश्ते की बात निशा के लिए मोहित से नहीं चली।

प्रश्न – उसकी पुत्री निशा अंदर मन ही मन मोहित को पसन्द करती थी या नहीं –

उत्तर – नहीं करती थी।

यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री निशा मोहित को प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। यह बात उसके संज्ञान में आने पर उसने अपनी पुत्री निशा की शादी 15–16 साल की उम्र में कर दी है। यह कहना भी गलत है कि उसकी पुत्री निशा अपनी ससुराल से भागकर कई बार मोहित से मिलने गई थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने इस बात की शिकायत की है कि निशा मोहित से मिलने बिना बताये जाती है और उसकी शिकायत व पंचायत हुई है। यह कहना भी गलत है कि वह अपनी पुत्री निशा की शादी उसकी मर्जी के वगैर की है और इसी बात से परेशान होकर यह घटना कारित की है। यह कहना गलत है कि निशा के द्वारा घटना किये जाने के समय निशा के ससुरालीजनो द्वारा निशा को बचाने के लिए पूरे प्रयास किये गये है, जिसमे निशा को बचाते समय निशा के ससुर ग्रीशचन्द्र के चोटें आई है। उसने तो निशा के साथ जहाँ घटना हुई वह जगह नहीं देखी थी। फर्रुखाबाद अस्पताल में लाश देखी थी। वह फर्रुखाबाद अस्पताल सुबह 7–8 बजे पहुँचा। उसे सिर्फ सुबह पहुंचने का समय मालूम है, लाश सुपुर्द किये जाने का समय नहीं मालूम क्योंकि उसके पास घड़ी नहीं थी और वह घड़ी देखना नहीं जानता। सुबह 5–6 बजे का समय अन्दाज से बता दिया। पुलिस ने 2–1 घंटे बाद अंदाज से लाश हमारे सुपुर्द कर दी थी। उसे यह जानकारी नहीं कि उसकी बिटिया का पोस्टमार्टम किसने और कब कराई उसने तो पोस्टमार्टम कराया था। उसका रिपोर्ट कराने जाने को लेकर उसके बेटे से कोई राय मशविरा नहीं हुआ। उसने सी०ओ० साहब को अपने बयान देने के समय

पहली बार तंग परेशान करने वाली बात अतिरिक्त दहेज के लिए बताई थी। सी०ओ० साहब ने उससे गांव में व थाने में उससे पूंछा था। उसे सी०ओ० साहब यहाँ के मुल्जिमान द्वारा बिटिया का जलना पाया गया वहाँ उसे कभी लेकर नहीं गये। उसे ध्यान नहीं कि उसने सी०ओ० साहब को पंचायत में गये लोगों के ध्यान कराये थे अथवा नहीं। इस घटना के बाद कई बार बड़े–बड़े नेता आये कि फैसला करों, उसने कह दिया कोर्ट में फैसला होगा। अभिषेक घटना के समय कुछ नहीं करता था, घर पर था। ग्रीशचन्द्र खेती करते थे। ग्रीशचन्द्र के 04 लड़के हैं। अभिषेक सब में बड़ा था। अभिषेक के अलावा उनके किसी भाई की शादी अब तक नहीं हुई। ग्रीश चन्द्र की दो बेटियों की शादी कोर्ट मैरिज से हुई थी। उसने सुनी है कि मुकदमा चलता रहा फिर कहा उसे नहीं मालूम। उसने समाज में 4 लोगों से मिलकर पूंछकर यह रिश्ता किया था। यह कहना गलत है कि खुद आग लगाकर आत्महत्या की है। यह भी कहना गलत है कि वह अभिषेक व उनके घरवालो को झूंठा फंसाने के लिए झूठा बयान दे रहा है।

16– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0 डब्लू0–03 राजीव कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके गाँव के मौजीराम हैं। मौजीराम ने अपनी लड़की की शादी करीब 08 वर्ष पूर्व अभिषेक उर्फ रिंकू कस्वा राजा का रामपुर के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही अभिषेक निशा का पति, ग्रीस चन्द्र (ससुर), गीता (सास) अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार की माँग करने लगे और अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उपरोक्त अभिषेक वगैरह निशा की मारपीट करने लगी। निशा अभिषेक आदि से मारपीट परेशान किये जाने पर फोन द्वारा अपने पिता मौजीराम व भाई चन्द्रशेखर को बताती थी। जब मुल्जिमान निशा को अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न होने के कारण अधिक मारपीट परेशान करने लगे तो घटना से करीब दो माह पूर्व वह, चन्द्रशेखर, मौजीराम आदि लोग मौहल्ला गढ़ी रानी साहिबा कस्बा राजा का रामपुर में अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व उनके परिवार वालों को समझाने–बुझाने आये थे। अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व गीता व इनके घर पर मिले थे। मौजीराम ने अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार देने में असमर्थता जताते हुये अभिषेक वगैरह को समझाया तो मुल्जिमान ने ये साफ कह दिया कि हमें अल्टो कार जब तक नहीं मिलेगी तब हम निशा को अपने घर पर नहीं रख पायेंगे। गीता व ग्रीश चन्द्र ने यह भी कहा था कि हम निशा को अपने घर से निकालकर अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेगे। वह निशा के पिता मौजीराम के गाँव में मौजीराम का पड़ोसी है। निशा से उसकी भी एक–दो बार बात हुई थी तो निशा ने उसे भी बताया था कि उसके सास–ससुर व पति अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार की माँग को लेकर उसके साथ मारपीट करते हैं। पंचायत के करीब दो महीने बाद और आज से करीब पौने सात साल पहले अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व गीता ने अपने घर में निशा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था, जिसकी सूचना गाँव में आयी थी और यह बताया था कि निशा जली हुई अवस्था में लोहिया अस्पताल में है। इस सूचना पर वह, मौजीराम व चन्द्रशेखर व मौजीराम के घरवाले व गांव के कुछ लोग छोटा हाथी से रामपुर कस्बा होते हुये लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद पहुँचे। लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में निशा हमें मृत अवस्था में मिली। निशा की लाश का पंचनामा भरे जाने के बाद लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के निशा की लाश को मौजीराम व हम लोग नगला लधौली लेकर आये थे। जहाँ निशा की लाश का अंतिम संस्कार किया था। इस घटना के सम्बन्ध में सी०ओ० साहब ने उसका बयान लिया था।

17– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसका घर और मौजीराम के घर के बीच में चार–पांच घर पड़ते हैं। मौजीराम के घर से लगा हुआ। उसके घर के लिये आयेंगे तो पहला घर विवेक कुमार, दूसरा घर संदीप का, तीसरा घर त्रिवेणी शाह का, चौथा घर मोनू का है और मोनू के घर के सामने उसका घर है। उसके शुरू से मौजीराम से मौहल्ले के नाते अच्छे सम्बन्ध है। वक्त पड़ने पर एक–दूसरे की मदद भी करते है। उसे अदालत से गवाही के लिये कोई सम्मन नहीं पहुँचा था। मौजीराम ने सूचना दी थी कि निशा के मुकदमें में गवाही देनी है। वह आज से पहले कभी अदालत में बयान देने नहीं आया। आज वह पहली बार इस घटना के बारे में गवाही दे रहा है। उसे नहीं मालूम कि निशा के साथ घटना के सम्बन्ध में सूचना किसने दी, उसे तो चन्द्रशेखर व मौजीराम ने बताया था। जब उसे ये सूचना मिली तब वह घर पर था। सुबह पांच–सवा पांच के करीब मौहल्ले के लोग इनके घर के बाहर इक्कट्ठे थे तो वह भी वहाँ पहुँच गया कि निशा जल गई है और उसका ईलाज अस्पताल में चल रहा है। करीब आधे–पौने घण्टे बाद गाँव से अस्पताल के लिये चले थे। हम लोग छोटा हाथी से गये थे किसका था उसे नहीं मालूम चन्द्रशेखर मौजीराम करके लेकर आये थे। छोटे हाथी में चन्द्रशेखर, मौजीराम के अलावा गांव व परिवार के आठ–दस लोग गये थे। निशा की शादी के समय बारात

हमारे गाँव में आयी थी। ये बारात प्राईमरी स्कूल में रुकी थी। बारात में बस व कार भी आयी थी। बस रात को चली गई थी। एक दो कार रुक गई थी। चन्द्रशेखर और मौजीराम निशा के लिये जब अभिषेक को देखने गये थे तो उसे लेकर नहीं गये थे। इसलिए वह नहीं बता सकता कि इन दोनों परिवारों के मध्य शादी के सम्बन्ध में माँग जांच को लेकर क्या बात हुई। भाँवरे पड़ कर जो एक दो कारे रह गयी थी। उससे अभिषेक व निशा सुबह विदा हो गये थे। शादी की जो भी व्यवस्था दावत आदि की गई थी वह किसी बिना परेशानी व व्यवधान के शान्तिपूर्वक निपट गयी थी। शादी के बाद दशवीं की विदा के बाद निशा गाँव आयी थी। मौहल्ले पड़ोस में उसके घर भी आयी बैठी रही और फिर चल दी। उसे यह जानकारी नहीं है कि अभिषेक शादी के वक्त क्या कार्य करते थे। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि इनके पिता क्या काम करते थे। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि अभिषेक व उनके पिता की क्या हैसियत है। निशा का जब पंचनामा भरा गया तब वह वहाँ मौजूद था। पुलिसवालो पंचनामा भरने में करीब आधा पौना घण्टा लगा होगा। हमारे पहुंचने के बाद लगभग दो घण्टे बाद पुलिस आयी थी, किसने पुलिस बुलाई थी ये नहीं मालूम। पुलिस ने उससे कोई पूंछताछ नहीं की थी और न उसे पंचनामा या किसी कागज पर दस्तखत कराये थे। फिर कहा कि पंचनामा पर उसके दस्तखत हुये थे। पुलिस वालों ने जब उसके पंचनामा पर उसके दस्तखत कराये थे तो उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा था सिर्फ दस्तखत कराये थे। उसने निशा का शव देखा है। उसने यह चीज बारीकी से नहीं देखी कि निशा की मृत्यु उपरान्त जहाँ उसका शव रखा था। वह पैरों में बिछिया और हाथों की उँगलियों में अंगूठी पहनी थी या नहीं। निशा के लगभग पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। उसने निशा के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं देखा, जलने के निशान थे। हम लोग 10, 10:30 बजे अस्पताल पहुँच गये थे। हमारे गाँव से अस्पताल लगभग 70 कि०मी० दूर है। करीब डेढ़–दो घण्टे का समय लगता है। वह निशा की ससुराल गया है। वह एक बार निशा के घर गया है। उनके घर के सामने रास्ता किस दिशा में चलता है, ध्यान नहीं है। किस तारीख को गये थे, ये ध्यान नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि निशा के जलने में उसके ससुर, ग्रीश चन्द्र तिवारी व गीता तिवारी (सास) जल गये है। शादी के सवा साल बाद निशा खत्म हो गयी थी। निशा की जब शादी हुई तब उसकी उम्र 22–23 वर्ष होगी यह नहीं मालूम कि शादी से कितने साल पहले निशा पढ़ाई छोड़ चुकी थी। यह भी नहीं मालूम कि वह कितनी पढ़ी थी। उसे अपने गाँव के लोगों के नाम नहीं मालूम जो उसके अलावा मौजीराम व चन्द्रशेखर के साथ छोटे हाथी वाहन में सवार थे। फर्रुखाबाद में हम लोग शाम के सात–आठ बजे तक रुके थे। फर्रुखाबाद से हम लोग निशा के शव को डीसीएम में रख कर गाँव के लिये चले थे। डीसीएम को चन्द्रशेखर करके लाये थे। गाँव में रात के साढ़े बारह बजे करीब हम लोग पहुँच गये थे। गांव पहुँच कर सुबह उसका दाह संस्कार किया था। उसके बाद वह चन्द्रशेखर और मौजीराम के साथ थाने नहीं गया। फर्रुखाबाद से लौटने के बाद अगले दिन चन्द्रशेखर ने थाने से लौटकर आकर उसे बताया था कि मुकदमा लिख गया है। उसने अस्पताल में किसी डाक्टर, नर्स या किसी व्यक्ति से नहीं पूंछा था कि निशा की कैसी हालत और वह कैसे जल गई। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि निशा को फर्रुखाबाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसके ससुर गिरीश चन्द्र द्वारा दाखिल किया गया है। वह नहीं बता सकता कि निशा को उसके ससुर गिरीश चन्द्र व अन्य ससुरालीजन जल जाने पर उसे बचाने के लिये राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद लाये है और भर्ती कराकर उसका ईलाज कराया है। यह कहना गलत है कि निशा के शव को उसके ससुर गिरीश चन्द्र ने एम्बुलेन्स करके भिजवाया है। हो सकता है कि निशा का इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में चला है। उसे नहीं मालूम कि निशा को बचाते हुये उसके ससुर गिरीश चन्द्र और सास गीता जल गये है। यह बात सही है कि वह मौजीराम के गाँव का रहने वाला है व उनका पड़ोसी है, इसीलिए उनके कहने पर आज बयान देने आया है फिर कहा कि एटा से दीवान जी का आज की तारीख के लिये फोन पहुँचा था। उसके साथ जो गाँव के अन्य लोग गये थे। उनसे उसकी कोई रंजिश नहीं है और वह लोग उसके गाँव में जन्म से रह रहे है। वह निशा की ससुराल जिस जगह उसका जल जाना बताया गया है, वह जगह देखने वह कभी नहीं गया। सी०ओ० साहब ने उसका बयान थाने में घटना के करीब 14–15 दिन बाद लिया था। यह कहना गलत है कि वह झूंठा बयान दे रहा है।

18– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0 डब्लू0–04 डॉ० नीरज कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.08.2015 को वह फतेहगढ़ में जिला जेल फतेहगढ़ पर बतौर एम०ओ० तैनात था। इस दिन को उसकी ड्यूटी शवविच्छेदन हेतु लगी हुई थी। उसने दिनांक 24.08.2015 को 03:15 पी०एम० पर मृतका निशा पत्नी अभिषेक तिवारी के शव का

विच्छेदन किया था। शव को सी०पी० सतेन्द्र कुमार और होमगार्ड चक्रवर्ती थाना कोतवाली फर्रुखाबाद सील मुहर हालत में 08 पुलिस पेपर्स के साथ लेकर आये थे। विच्छेदन के समय उसके साथ डॉ० ब्रजेश सिंह वर्मा भी मौजूद रहे थे। मृतका की मृत्यु 24.08.2015 सुबह 08:50 ए०एम० पर पुलिस प्रपत्र में लिखा अंकित होना पाया था। विच्छेदन के समय उसने सील दुरुस्त पाई। मृतका के शरीर के ऊपरी हिस्से में व निचले हिस्से के अकड़न मौजूद थी। मृतका के शरीर पर Ointment का लेप था। विच्छेदन के समय उसने मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित मृतका के शरीर पर चोटें पाईं –

1– Superficial Deep burn पूरे शरीर पर पेट का बीच का भाग और पैरों के पंजे व तलों को छोड़कर। मृतका की त्वचा (खाल) काली पड़ गई थी एवं जगह–जगह से उधड़ी हुई थी। त्वचा के निचले भाग पर लालिमा मौजूद थी। मृतका के शरीर के बाल जले हुये एवं उसके शरीर से चिपके हुये थे।

2– एक कटा हुआ घाव 0.5 सेमी x0.2 सेमी मास तक गहरा, ऊपरी होंठ के बीच में।

मृतका की मृत्यु उसकी राय में मृत्यु पूर्व उसके शरीर पर पाई गई चोटों एवं जो जलने से आई थी एवं सदमे में होना सम्भव थी। उसने विच्छेदन 03:50 पी०एम० से 04:30 पी०एम० तक सम्पन्न किया। उसकी राय में मृतका की मृत्यु 24.08.2015 की सुबह 08:30 बजे उसके शरीर पर आई जलन के कारण मृत्यु होना सम्भव थी। विच्छेदन के समय उसने मृतका के शरीर पर एक धोती, एक ब्लाउज, एक पेटीकोट, 06 बिछिया, एक लोहे का छल्ला, एक अँगूठी, एक कड़ाई का धागा, चुड़ियों के टुकड़े एवं कान के 02 कुंडल मिले थे, जिन्हें उसने सील मोहर कराकर लाश लेकर आये पुलिस वालों को स्वतः विच्छेदन रिपोर्ट के साथ दिया गया। शव–विच्छेदन रिपोर्ट उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जो पत्रावली पर कागज 12अ/8 है जो उसने विच्छेदन के समय तैयार की थी। विच्छेदन रिपोर्ट पर उसके साथ तैयार रहे बृजेश सिंह वर्मा के भी हस्ताक्षर हैं, प्रर्दश क–3 डाला गया।

19– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिये शव के साथ पुलिस द्वारा भेजे गए प्रपत्र फोटो लाश, चालान शव विच्छेदन आदि पर अ०सं० या मुकदमा दर्ज होने का ब्यौरा दर्ज नहीं है। उसे प्राप्त प्रपत्र राममनोहर लोहिया चिकित्सालय में दर्ज मृत्यु समय 08:50 ए०एम० दिनांक 24.08.2015 के आधार पर ही अपनी पी०एम०आर० रिपोर्ट में मृत्यु का समय 08:50 ए०एम० लिखा है। वह Anti Mortem Injury no. 1 को देखकर नहीं बता सकता कि मृतका ने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी या उसे जलाया गया। Anti Mortem injury no–2 व्यक्ति के जलने पर इधर–उधर भागने पर किसी चीज के टकराने से यह चोट आ सकती है। उसके द्वारा मृतका के कपड़े जो पी०एम०आर० के समय मिले थे, पुलिस को दिये गये। वह नहीं बता सकता सील किये गये कपड़े उस समय जले हुए प्राप्त हुए। वह इस स्तर पर यह नहीं बता सकता कि मृतका को कब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में समय उसे प्राप्त पुलिस सूचना में दिनांक 24.08.2015 समय 8:10 ए०एम० बताया गया। मृतका के इलाज के सम्बन्ध में अस्पताल के डाक्टर ही बता सकते हैं। यह कहना गलत है कि अस्पताल से प्राप्त सूचना के आधार पर गलत पी०एम०आर० तैयार की गई है।

20– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0 डब्लू0–05 विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक आशाराम अहरवार** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.08.2015 को वह सी०ओ० अलीगंज के पद पर तैनात था। उक्त मुकदमा थाना राजा का रामपुर पर कायम हुआ है, जिसकी विवेचना उसने ग्रहण की थी। उसने उक्त दिनांक को नकल चिक व नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक, बयान वादी चश्मदीद लेकर सी०डी० में अंकित किया। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज सं०–11 अ है, इस पर उसके हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल से धोती पोलिएस्टर का टुकड़ा एवं एक 05 लीटर की कट्टी जिसमें करीब 50 ग्राम मिट्टी का तेल था, की फर्द जो पत्रावली पर प्रदर्श क–2 है। वही फर्द है जो घटना स्थल पर तैयार की गई थी, इस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को उसने एस०ओ० देवेंद्र शंकर पाण्डेय, चश्मदीद सत्य प्रकाश वर्मा के गवाहान के बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये। घटना स्थल से धोती पोलिएस्टर का टुकड़ा एवं कट्टी प्लास्टिक 5 लीटर को कब्जे में लेकर सील मुहर किया गया। दिनांक 26.08.2015 को अभियुक्तगण हरीश चन्द्र व शांति देवी को गिरफ्तार किया गया था, के बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये। दिनांक 07.09.2015 को अभियुक्त अभिषेक उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया। उसमें बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये। दिनांक 09.09.2015

Additional Sessions Judge,
Court No.03, Etah.

को मृतका के पिता मौजीराम, एफ०आई०आर० लेखक सत्यप्रकाश, गवाह विवेक कुमार, राजीव कुमार एवं मोहित के बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये। दिनांक 19.09.2015 को घटना स्थल से माल मुकदमा दाखिल कराया गया। दिनांक 11.09.2015 को एफ०एस०एल० आगरा में दाखिल कराया गया का खुलासा सी०डी० में किया। उक्त दिन को स्वतंत्र साक्षी मनीष तिवारी, मुकेश कुमार के बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये। दिनांक 21.09.2015 को मृतका निशा के पंचायतनामे का खुलासा सी०डी० में किया एवं शव विच्छेदन रिपोर्ट का खुलासा भी सी०डी० में किया। उक्त दिनांक को ही उसने पंचान रामजीलाल, हरीशंकर, राजीव, विवेक, प्रदीप एवं मृतका की मां शांति देवी का बयान लेकर सी०डी० में अंकित किया। दिनांक 30.09.2015 को डॉ० नीरज कुमार, नायब तहसीलदार आर०पी० चौधरी, डा० जितेन्द्र कुमार, महिला होमगार्ड चन्द्रवती, स्वतंत्र साक्षी मुकेश पाण्डेय, सर्वेश कुमार, प्रशान्त भट्ट, रिंकू भट्ट लोकेन्द्र मिश्रा, मुन्नी देवी, सुरेश चंद्र शर्मा एवं नामित अभियुक्त रिंकू उर्फ पिंकू, आशू उर्फ आशुतोष, कु० अंजली, श्रीमती पिंकी रिंकी उर्फ ज्योति के बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये। दिनांक 10.10.2015 को उसने अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, शान्ति देवी एवं ग्रीश चंद्र के खिलाफ धारा 498A, 304B भा०दं०सं० एवं 3/4 डी०पी० एक्ट का आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं 3 अ/1 लगायत 3 अ/21 है, जो कम्प्यूटर से तैयार किया गया था। इस पर उसके हस्ताक्षर है। आरोप पत्र पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 18.03.2016 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसका खुलासा सी०डी० में किया। परीक्षण रिपोर्ट को वह आज केस डायरी में संलग्न है, को मय लिफाफे के दाखिल करता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर प्रदर्श क–6 डाला गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जाँच आख्या दिनांक 03.03.2016 की है।

21– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसकी विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतका निशा को घायल अवस्था में राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद कौन ले कर आया। इस सम्बंध में वादी व अन्य गवाहान ने कुछ नहीं बताया कि निशा को अस्पताल में किसने दाखिल किया। उसकी विवेचना में अस्पताल के मृतका को दिनांक 24.08.2015 को समय 08:10 ए०एम० पर भर्ती पाया गया और मृत्यु उसी दिनांक को 08:50 पर होना बताई गई। मृतका के पिता मौजीराम का बयान उसके द्वारा लिया गया है। उसे निशा के पिता मौजीराम ने फर्रुखाबाद अस्पताल सुबह 7–8 बजे पहुंचने का ध्यान नहीं दिया। अभिलेख के अनुसार अगर मौजीराम यह कहते है कि वह 7–8 बजे अस्पताल पहुँच गये थे। उन्हें मृतका निशा जिन्दा मिल गई होती। उसे दिये बयानों में मौजीराम ने उनके अस्पताल पहुँचने से पहले निशा की मृत्यु होना बताया था। उसे मौजीराम के 10–10½ बजे अस्पताल पहुँचने के सम्बंध में ध्यान नहीं दिया। उसे वादी व मौजीराम ने यह बताया था कि गाँव के कई लोगों के साथ व रिश्तेदारी के साथ लोहिया अस्पताल गये थे। उसने पंचायतनामा का अवलोकन किया। पंचायतनामे के समय मृतका के पारिवारिक व पंचायतनामें के गवाहान ने मृतका की हत्या अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न किये जाने के सम्बंध में व उसकी हत्या करने के सम्बंध में ध्यान नहीं दिया था। वादी के गवाहान ने उसे नहीं बताया कि निशा की मृत्यु की सूचना व उसके किस मोबाइल पर प्राप्त हुई। अपनी तहरीर में वादी ने अपना मोबाइल न०–9536630351 अंकित किया है। उसके द्वारा विवेचना में उक्त मोबाइल की कॉल डिटेल नहीं निकलवाई। मृतका का शव वादी व हमराहीयान थाने पर पोस्टमार्टम के बाद थाने पर रिपोर्ट लिखाने आये थे। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 25.08.2015 को 00:10 बजे दाखिल हुई। कायमी जी०डी० पर दिनांक 25.08.2015 दर्ज है, जिसमे 25 की जगह ओवर राइटिंग की गई है। उसके द्वारा 25.08.2015 को ही मौके से 05 लीटर कट्टी व एक धोती पोलिएस्टर जली हुई रंग गुलाबी, नीला व हरा बरामद किया गया। यह उसने आंगन से नीचे बरामद की। उसके द्वारा पोस्टमार्टम के उपरान्त जो कपड़े डाक्टर द्वारा सील किये गये थे। उनका मिलान मौके से बरामद अधजले धोती से नहीं कराया गया क्योंकि डाक्टर द्वारा भेजे गये कपड़ो की जानकारी उसे नहीं है। उसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इसके मृतका के शरीर पर धोती, ब्लाउज, पेटीकोट, बिछिया, अंगूठी, चूड़ियों के टुकड़े, कान के कुंडल अंकित है व इन कपड़ो को सील बंडल किया गया है। उसे यह सील बंडल थाने स्तर से उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसके द्वारा ससुर ग्रीश चन्द्र तिवारी व सास गीता तिवारी की मैडीकल रिपोर्ट दाखिल है। उसके द्वारा विवेचना में ग्रीश चन्द्र तिवारी व गीता तिवारी के कैसे चोटे आयी उसकी जानकारी उसके द्वारा नहीं की गई। इस सम्बंध में उसके द्वारा डाक्टर रिपोर्ट तैयार करने वाले का भी बयान अंकित नहीं किया गया। उसे चन्द्रशेखर ने अपने बयानों में अभिषेक के पिता, ससुर

ग्रीश चन्द्र व सास गीता का नाम बताया था। अगर अदालत में दिये बयानों में वादी यह कहता है कि उसे सास–ससुर के नाम नहीं मालूम तो वह इसकी वजह नहीं मालूम पंचायतनामे के अवलोकन से यह पता चलता है कि जलने से मरी होना बताया था, परन्तु किसके द्वारा घटना कारित की गई यह नहीं बताया। वह नहीं बता सकता कि अगर वादी अपने बयानों में यह कहता है कि उसकी बहिन की हत्या मुल्जिमानो ने की थी तो वह नहीं बता सकता। उसके द्वारा पंचायतनामा वाले तहसीलदार का बयान लिया था। उनके बयानों में यह नहीं आया कि निशा की हत्या दहेज के लिये कर दी गई है और उन्हें वादी व गवाहान ने बताया हो। वादी व गवाहान ने उसे यह बयान नहीं दिया कि वह अस्पताल व थाने डी०सी०एम० से गये है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा थाने पर बैठकर मुकदमें की लिखा पढ़ी की गई थी। यह कहना गलत है कि मृतका ने स्वतः परेशान होकर आग लगाकर आत्महत्या की थी। यह कहना भी गलत है कि उसको बचाने में उसके सास ससुर जल गये है, जिनकी उसके द्वारा जांच न की गई है। यह कहना भी गलत है कि वादी व गवाहान से मिलकर अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया है।

22– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0 डब्लू0–06 सेवानिवृत्त एस०डी०एम० राजेन्द्र प्रसाद चौधरी** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके द्वारा मृतका निशा पत्नी अभिषेक तिवारी निवासी राजा का रामपुर जिला एटा का पंचायतनामा भरवाया गया था। वह पुलिस की सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचा था। पुलिस कर्मचारीगण शैलेन्द्र कुमार व एच०जी० चन्द्रावती तथा तहसीलदार आर०पी० चौधरी समस्त पंचायतनामा के कागजात लेकर मौजूद थे। पंचायतनामा की कार्यवाही समय दस बजे से 12:30 ए०एम० तक चली थी तथा 1:30 मृतका को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। उसके द्वारा पंचांग नियुक्त किये गये। पंचांग की राय ली गई। मृतका 95% जली हुई थी। पंचायतनामा उसके बोलने पर एस०आई० श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जो पत्रावली पर कागज संख्या 12अ/2 लगायत 12अ/3 है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा दीगर कागजात चिट्ठी सीएमओ, चालान नाश, व पुलिस फार्म नंबर 33 उसके द्वारा तैयार कराये गये, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जो पत्रावली पर क्रमशः 12अ/4 लगायत 12अ/6 है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क– 8, क–9 व क–10 डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने उससे पूछताछ की थी।

23– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि दौरान पंचायतनामा उसे किसी भी पंचान द्वारा घटना कैसे हुई नहीं बताया है। उसे पुलिस के माध्यम से पंचायतनामा किये जाने कि सूचना मिली थी। चिट्ठी सी०एम०ओ० पुलिस सूचना पर किस व्यक्ति द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह कालम खाली है और उसे ऐसा ही मिला। इसलिए वह नहीं बता सकता कि मृतका के परिजन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती किया गया या फिर उसके ससुरालीजन द्वारा भर्ती किया गया। किसी पंचान ने उसे यह नहीं बताया कि मृतका को उनके द्वारा जली हुई हालत में इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी जानकारी में दौरान पंचायतनामा यह नहीं आया कि मृतका को किसके द्वारा इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतका के शरीर पर कोई जाहिर चोट के निशान नहीं मिले थे। यह बात सही है दौरान इलाज मृतका की मृत्यु हो गई थी। वह यह नहीं बता सकता कि मृतका को अस्पताल में उसके ससुरालीजन द्वारा भर्ती कराया गया या उसके मायके पक्ष द्वारा भर्ती कराया गया। दौरान पंचायतनामा उसकी जानकारी में यह भी नहीं आया कि मृतका का मृत्यु पूर्व कोई बयान हुआ हो। यह कहना गलत है कि वह आज झूंठा बयान दे रहा है। यह कहना भी गलत है कि उसने सही तथ्यों को जाने बिना पंचान से मिलकर झूंठा पंचायतनामा तैयार किया है।

24– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0 डब्लू0–07 हेड कां० विकास बाबू** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.08.2015 को वह थाना राजा का रामपुर पर बतौर कां० क्लर्क के रूप में तैनात था। समय करीब 00:10 बजे प्रार्थी चन्द्रशेखर पुत्र मौजेराम निवासी ग्राम लधौली थाना सिकन्दरपुर वैश्य जिला कासगंज द्वारा थानाध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र दिया। थानाध्यक्ष ने उसे प्रार्थना पत्र/तहरीर देते हुए मौखिक रूप से कहा कि अभियोग पंजीकृत करें, जिसके आधार पर उसने अ०सं०–253/2015, धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट के तहत अभियुक्त अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र, गीता, पिंकी, रिंकी, कु० अंजली, कु० आशू व टिंकू के खिलाफ अभियोग दर्ज किया। चिक एफ०आई०आर० में उसने वादी द्वारा दी गयी तहरीर का शब्दता अंकित किया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/1 लगायत 4अ/7 है, जो कम्प्यूटराइज्ड है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। जिसका इन्द्राज उसके द्वारा जी०डी० नम्बर दो में उक्त दिनांक को व उक्त समय पर

किया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 7 अ/2 कार्बन कॉपी मौजूद है, जिसे वह प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक महोदय द्वारा उसका बयान लिया गया था।

25– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि घटना दिनांक 23.08.2015 व दिनांक 24.08.2015 के मध्य रात्रि की है। यह बात उसे वादी ने तहरीर में लिखकर बताई थी। तहरीर में मध्य रात्रि शब्द नहीं लिखा है, केवल रात लिखा है। रात शाम को आठ बजे से सुबह चार बजे के बीच कभी भी हो सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कालम नंबर आठ में देरी का कोई कारण नहीं लिखा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने लिखा है कि सूचना पर लोहिया अस्पताल में पहुँचे तो उसकी बहन अस्पताल में मरी हुई मिली थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कौन अस्पताल में लेकर गया, इसका जिक्र नहीं है। पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्व में ही थाना राजा का रामपुर द्वारा ही कराई गई। उसे इस संबंध में जानकारी नहीं है कि थाना राजा का रामपुर की पुलिस की रवानगी मृतका के पंचायतनामा हेतु जी०डी० में उसके द्वारा की गई है। उसे तहरीर से जानकारी हुई थी कि थाना राजा का रामपुर की पुलिस पंचायतनामा के लिए गई थी। यह बात सही है कि तहरीर से पूर्व पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो चुकी थी, जो तहरीर से स्पष्ट हो रहा है। मुकदमा कायमी के समय वादी व उसके परिवारीजन आये थे। एस०ओ० साहब से मुलाकात होने के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वह इस समय नहीं बता सकता कि इस घटना से पूर्व या बाद में किसी संज्ञेय अपराध का पंजीकृत दर्ज हुआ था या नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अलावा उसके द्वारा इस मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा उच्चाधिकारियों के दबाव में एन्टी टाइम मुकदमा दर्ज किया गया है।

26– बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी **डी०डब्लू०–01 सुरेश सिंह राठौर** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.08.2015 को सुबह पौने छः बजे वह टहलने के लिए निकला था, तो उसने देखा कि ग्रीश तिवारी के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बहुत लोग इकट्ठे थे तो पता चला कि इनकी पुत्रवधू के आग लग गई है। उस समय औरते बहु से पूछ रही थी कि क्या बात हो गयी, कैसे जल गयी। बहू ने कहा कि वह चाय बना रही थी। उसी समय उसके कपड़ो में आग लग गयी और वह जल गयी। घर पर वीरेश तिवारी का बेटा अभिषेक नहीं था। ग्रीश तिवारी के अपनी बहु निशा को बचाने में भी हाथ जल गये। जब वह पहुंचा था तो गाड़ी में लिटाकर बहु निशा को ग्रीश तिवारी फर्रुखाबाद अस्तपताल ले जा रहे थे। वह ग्रीश तिवारी के मौहल्ले पड़ोस का रहने वाला है और इसी के नाते आना–जाना था। उसने इनके घर पर अभिषेक व निशा में ये कहा सुनी होते सुनी थी कि जिसमें निशा कह रही थी कि उसके घर वाले ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी अभिषेक के साथ कर दी और वह रहना नहीं चाहती।

27– इस साक्षी ने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा जिरह किये जाने पर कथन किया है कि ग्रीशचन्द्र के मकान से उसका मकान लगभग 250 मीटर दूरी पर है। घटना दिनांक 24.08.2015 को घटित हुई। घटना दिन में घटित हुई थी। जब वह अभिषेक के घर के सामने पहुँचा तो मौहल्ले के महिलाओं की काफी भीड़ थी एवं लोगों की भी काफी भीड़ थी। उस समय घटनास्थल पर अभिषेक मौजूद नहीं था। वह अभिषेक की शादी में नहीं गया था। घटना से अभिषेक की शादी को लगभग डेढ़ दो साल पहले हुई थी। उसने निशा को जली हुई अवस्था में देखा था। उसे नहीं पता कि कितने प्रतिशत जल गई थी क्योकि वो औरत थी और कपडे ओडे हुई थी। ग्रीश चन्द्र से उसके अच्छे सम्बंध है और आना–जाना है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने में साथ नहीं गया था। आज न्यायालय से गवाही देने कोई समन नहीं मिला था। उसे ग्रीश तिवारी ने गवाही देने के लिए कहा था, और कहा था कि हकीकत बतानी है। यह कहना गलत है कि उसके ग्रीश से अच्छे सम्बन्ध है। इस कारण उन्हें बचाने के लिए झूंठी गवाही देने आया है।

28– अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा मृतका से अल्टो गाडी की मांग दहेज के रूप में की गयी तथा न देने पर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की बहन को अल्टो गाडी दहेज में न मिलने के कारण मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मार डाला गया। मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर के ऊपर चोट के निशान भी पाये गये है, जिससे यह प्रकट है कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित की गयी। ऐसी स्थिति में धारा 304 बी के अंतर्गत अभियोजन के द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। तद्नुसार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करके दण्डित किया जावे।

29– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका निशा का विवाह उसके पिता और भाई ने उसके मर्जी के बिना किया था जिससे वह परेशान होकर स्वयं आत्महत्या कर ली और मृतका को बचाने में उसके सास–ससुर भी जल गये थे। मृतका को ससुर ग्रीश चन्द्र के द्वारा लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यदि अभियुक्तगण के द्वारा मृतका को जलाया जाता तो उसे अस्पताल क्यो ले जाया जाता। अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की कभी कोई मांग नहीं की गई।

30– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि घटना के समय मृतका का पति अभियुक्त अभिषेक घर पर नहीं था। बचाव साक्षी सुरेश सिंह राठौर (डी०डब्लू०-1) के द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टतः कथन किया गया है कि अभिषेक घर पर नहीं था। मृतका के द्वारा जब तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया तब सास ससुर के द्वारा उसे बचाने की कोशिश की गयी और अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गयी और मृतका की मृत्यु दहेज मृत्यु परिभाषा में नहीं आती है।

31– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि पंचायतनामा पर पंचों की राय में मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई है। पंचों में से किसी के द्वारा यह राय जाहिर नहीं की गई थी कि मिट्टी का तेल डालकर मृतका को जलाया गया है। जबकि वादी मुकदमा स्वयं पंचनामे के गवाह हैं। उनके द्वारा भी पंचनामा लिखे जाते समय यह नहीं बताया गया था कि अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग की जाती थी और मृतका को प्रताड़ित किया जाता था।

32– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किए जाने के संबंध में वादी मुकदमा तथा अन्य गवाहों के द्वारा कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है। मात्र यह कहा गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग की जाती थी। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। तद्नुसार अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

33– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **राजेश चड्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (4) JIC 325 (SC)]** प्रस्तुत की गई है।

34– मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन किया। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का मेरे द्वारा ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

35– इस सत्र प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं-

(I) क्या मृतका श्रीमती निशा की मृत्यु विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर हुई थी?

(II) क्या मृतका श्रीमती निशा की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई थी?

(III) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23/24.08.2015 एवं उससे पूर्व श्रीमती निशा या उसके मायके वालों से अल्टो कार की मांग अतिरिक्त दहेज के रुप में करते हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया?

(IV) क्या अभियुक्तगण ने मृतका निशा की दहेज मृत्यु कारित की?

–निष्कर्ष–

36– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा चन्द्रशेखर की बहन निशा का विवाह अभियुक्त अभिषेक के साथ दिनांक 18.05.2014 को हुआ था। जिसमें पर्याप्त दान दहेज के साथ शादी की गयी थी। शादी के बाद पति अभिषेक व अन्य लोग अल्टो कार की मांग को लेकर काफी परेशान करते थे तथा कहते थे कि इसको मारकर दूसरी शादी कर देगे। दिनांक 23/24.08.2015 की रात में अभियुक्तगण द्वारा मृतका श्रीमती निशा को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज मृत्यु के आरोप विरचित किए गए।

37– धारा 304 बी भा०दं०सं० के अंतर्गत 'दहेज मृत्यु' के अपराध के आवश्यक तथ्यों की विवेचना करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्रीमती शांति एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1991) 1 एस०सी०सी० 371, विश्वजीत हल्दर उर्फ बाबू हल्दर एवं अन्य बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य (2008) 1 एस०सी०सी० 202**

और **पंचानंद मण्डल बनाम स्टेट आफ झारखण्ड (2013) 9 एस०सी०सी० 800** के मामले में विनिश्चित किया है कि इस अपराध के लिए निम्न तथ्यों का होना आवश्यक है–

उपरोक्त परिभाषा को यदि पृथक–पृथक तत्वों में विभाजित किया जाए तो अपराध के कारित किए जाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व हैं–

(i)– महिला की मृत्यु जल जाने या शारीरिक क्षति से सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो।

(ii)– ऐसी मृत्यु मृतका के विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो।

(iii)– मृतका को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो।

(iv)– ऐसी प्रताड़ना दहेज की मांग को लेकर की जा रही हो।

(v)– ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न महिला के साथ उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व (soon before her death) किया गया हो।

38– इसी स्तर पर **धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम** का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्रावधान है कि, "जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।"

उपरोक्त धारा 113 ख के स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त धारा के प्रयोजन हेतु दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी में है।

39– माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दुर्गा प्रसाद एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2010 (9) SCC 73** में अवधारित किया है कि धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा उक्त स्थिति में की जा सकती है जब कि अभियोजन द्वारा धारा 304 बी भा०दं०सं० के समस्त तथ्य सिद्ध किए गए हैं तथा अभियोजन द्वारा स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु की संभावना का खण्डन किया गया है जिससे कि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिक्षेत्र के भीतर आती है।

40– स्पष्ट है कि किसी भी उपधारणा की उत्पत्ति से पूर्व अभियोजन का यह दायित्व है कि वह धारा 304 बी भा०दं०सं० में वर्णित समस्त तत्वों को स्थापित करें। उसके उपरान्त ही उपधारणा उत्पन्न होती है।

41– हस्तगत प्रकरण में निम्नलिखित तत्व निर्विवाद हैं–

(i)– मृतका निशा की शादी अभियुक्त अभिषेक के साथ हुई थी।

(ii)– मृतका निशा की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई थी।

(iii)– मृतका निशा की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न (जलने के कारण) हुई।

42– अभियोजन को अब यह स्थापित करना है कि मृतका निशा के साथ मृत्यु से पूर्व क्रूरता अभियुक्तगण द्वारा की जाती थी तथा उक्त क्रूरता दहेज की मांग को लेकर थी। भा०दं०सं० की धारा 304 बी में उल्लिखित मृत्यु से ठीक पूर्व वाक्यांश का अर्थ मृत्यु तथा क्रूरता के बीच में कुछ निकटतम तथा घनिष्ठ सम्बन्ध होने से है। यह एक अपेक्षित कथन है, इसलिए उसका कोई सीधा सटीक सूत्र नहीं बनाया जा सकता है कि कितने समय अन्तराल को कुछ देर पहले माना जाये। यह न्यायालय को प्रत्येक मामलें में देखना पड़ेगा। सामान्यतः मृत्यु से ठीक पूर्व का तात्पर्य है कि प्रश्नगत मृत्यु और उत्पीड़न में अत्यधिक समय का अन्तर न हो, इसी के आलोक में देखना है कि क्या हस्तगत प्रकरण में मृतका को उसकी "मृत्यु से ठीक पूर्व" दहेज की मॉग के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

43– उपरोक्त दोनों तत्वों को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। न्यायालय के समक्ष चन्द्रशेखर (पी०डब्लू०-1) जो कि मृतका का भाई हैं, के द्वारा कथन किया गया कि उसकी बहन निशा की शादी दिनांक 18.05.2014 को हाजिर अदालत मुल्जिम अभिषेक उर्फ रिंकू के साथ दान दहेज देकर हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन निशा से उसके पति अभिषेक, ससुर ग्रीश चन्द्र व सास गीता, पिंकी, रिंकी, अंजली व टिंकू आशू ने अल्टो गाडी की मांग की और आये दिन निशा के साथ हाथापाई मारपीट करते थे, जिसकी शिकायत निशा ने फोन द्वारा उससे व उसके मां बाप से की थी। वह दिनांक 20.07.2015 को निशा को विदा कराने गया था। निशा को ससुरालीजनों ने उसके साथ नहीं भेजा और कहा कि रक्षाबंधन के बाद दिनांक 28.07.2015 को विदा करेगे। उसके बाद वह अपने घर वापस आ

गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पास फोन किया कि उसकी बहन निशा को दिनांक 24.08.2015 को जलाकर खत्म कर दिया है। निशा को लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद में भर्ती करना बताया है। सूचना पर वह उसके पिता भाई व परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। निशा वहां मृत पड़ी हुई थी। निशा का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और निशा के शव को हम लोग अपने गांव लेकर आये। उक्त साक्षी के द्वारा शिकायत को प्रदर्श क-1 एवं फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित कर स्वयं के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया है।

44– साक्षी चन्द्रशेखर (पी०डब्लू०-1) ने जिरह में कथन किया है कि घटना के समय मेरे घर पर एक मोबाइल था। उसका नम्बर 9536630315 था। यह बंद हो गया है। निशा के पास का मोबाइल नम्बर उसे नहीं मालूम। निशा उसको व उसके घरवालों को फोन करती थी। शादी के बाद उसकी बहन मुश्किल से दो माह मायके में रही होगी। बार बार जब तंग करते थे, तभी फोन करती थी। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 4 में कथन किया है कि उसे घटना की सूचना प्रात पांच- छः बजे के बीच मिली थी। उसे यह सूचना दी गयी थी कि उसकी बहन खत्म हो गयी और उसे ले गये है। वह अपने घर से राजा का रामपुर गया वहां पता चला कि लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद ले गये है। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 5 में कथन किया है कि उसकी बहन की लाश लोहिया अस्पताल में मोर्चरी में मिली थी। उसे आज तक नहीं पता कि उसकी बहन को अस्पताल में भर्ती किस व्यक्ति ने कराया था। वह यह जानता है कि अस्पताल में किसी व्यक्ति को भर्ती उसकी जान बचाने के लिए कराया जाता है। ग्रीश चन्द्र व अभिषेक ने अपने बचाव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया गया है कि पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस नम्बर UP76 K4302 से लाश को लाया गया था। उक्त साक्षी ने कथन किया है कि वह अपनी गाड़ी पिकअप में लाया था। लाश उसे दिनांक 24.08.2015 को मिली थी। उसे नहीं मालूम उसकी बहन निशा को बचाने में निशा के सास ससुर के हाथ भी जले थे। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 8 में कथन किया है कि उसे अभिषेक के पिता का नाम मालूम है जो ग्रीश है। उसे अभिषेक की माता का नाम इस समय याद नहीं है। अस्पताल में यह लोग नहीं मिले थे। इसलिए हाथापाई होने का प्रश्न ही नहीं है। उसकी बहन निशा के डेडबाडी अस्पताल में नहीं थी, मोर्चरी में रखी थी। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 10 में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसकी बहन निशा पूनम के देवर मोहित से शादी के पहले से ही प्यार करती थी और उन लोगों ने निशा की इच्छा के विरुद्ध शादी अभिषेक से करा दी। जिरह के पेज क्रमांक 11 में इस सुझाव को भी साक्षी ने अस्वीकार किया है कि अभिषेक के शादी करने बाद भी अक्सर वह बिता बताये अपनी मर्जी से मोहित से मिलने अल्लैयापुर चली जाती थी और ग्रीश वगैरहा के मना करने के बाद भी वह मोहित से मिलना बंद नहीं करती थी। इस साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि इसी बात से दुखी होकर उसने मिट्टी का तेल डालकर सुबह ही आग लगा ली थी और ग्रीश ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके दोनो हाथ जल गये थे।

45– इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मोजीराम (पी०डब्लू०-2) ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बेटी निशा की शादी दिनांक 18.05.2014 को अभिषेक उर्फ रिंकू के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज से किया था। उसकी बेटी निशा के पति अभिषेक, ससुर ग्रीश चन्द्र, सास गीता ननदे पिंकी, रिंकी अंजली व आशू व टिंकू उसकी पुत्री निशा को अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार की मांग को लेकर मारपीट करके मानसिक रूप से तंग व परेशान करते थे, जिसकी सूचना उसने मुझे व मेरे घरवालों को दी थी। निशा की सूचना पर उसका पुत्र चन्द्रशेखर, मोहित, राजीव व विवेक आदि को लेकर निशा की ससुराल गये और निशा की ससुरालवालों को उसके पुत्र ने समझाया कि अब उसकी स्थिति अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार देने की नहीं है। इस पर निशा के ससुरालवालों ने कोई बात नहीं मानी और निशा को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अभिषेक वगैरहा निशा के साथ मारपीट, तंग व परेशान करते रहे। दिनांक 23/24.08.2015 की रात में अभिषेक व उसके घरवालों ने योजना बनाकर मिट्टी का तेल डालकर निशा को जला दिया, जिसकी रिपोर्ट उसके पुत्र चन्द्रशेखर ने सत्यप्रकाश से बोल बोलकर लिखायी थी।

46– साक्षी मोजीराम (पी०डब्लू०–2) ने जिरह में कथन किया है कि "उसे फर्रूखाबाद अस्पताल में बेटीजन के ससुराल वाले नहीं मिले। कोठरिया में लाश के रूप में उसने अपनी बेटी निशा को पाया।" उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 6 में कथन किया है कि मरने से करीब सवा महीने पहले इन्हीं (मुल्जिमान) के घर पंचायत जोड़ी थी। वह व उसके परिवार के अलावा उसके साथ पंचायत में सुभाष, वीरेन्द्र, अवधेश,

Additional Sessions Judge,
Court No.03, Etah.

राजीव, विवेक, कल्लू, रामहरीश आदि लोग गये थे। उसने पुलिसवालों को यह बात बतायी थी। वह पंचायत के उक्त लोगों को साथ लेकर गया था। पंचायत से पूर्व उसकी पुत्री द्वारा शिकायत की गयी थी। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 8 में बचाव पक्ष द्वारा यह प्रश्न पूंछा गया है कि उसकी पुत्री निशा अन्दर मन ही मन मोहित को पसंद करती थी या नहीं। साक्षी ने उत्तर दिया है कि नहीं करती थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसकी पुत्री निशा मोहित को प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी और यह बात उसके संज्ञान में आने पर उसने अपनी पुत्री निशा की शादी 15-16 साल की उम्र में कर दी। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसकी पुत्री निशा अपनी ससुराल से भागकर कई बार मोहित से मिलने गयी है। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसने अपनी पुत्री निशा की शादी मर्जी के वगैर की हो और इसी बात से परेशान होकर घटना कारित की हो। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि निशा के द्वारा घटना किये जाने के समय निशा के ससुरालीजन द्वारा निशा को बचाने के लिए पूरे प्रयास किये गये हो जिसमें निशा को बचाते समय निशा के ससुर ग्रीश चन्द्र को चोटे आयी हो। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 10 में कथन किया है कि इस घटना के बाद कई बार बडे बडे नेता आये कि फैसला करो उसने कह दिया कि कोर्ट में फैसला होगा। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया गया है कि खुद आग लगाकर निशा ने आत्महत्या की है।

47– अभियोजन साक्षी राजीव कुमार (पी०डब्लू०-3) ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके गांव के मौजीराम ने अपनी लड़की की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अभिषेक उर्फ रिंकू के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही अभिषेक निशा का पति, ग्रीश चन्द्र(ससुर), गीता (सास) अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार की मांग करने लगे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उपरोक्त अभिषेक वगैरहा निशा की मारपीट करने लगे। निशा अभिषेक आदि से मारपीट किये जाने पर फोन द्वारा अपने पिता मौजीराम व भाई चन्द्रशेखर को बताती थी। जब मुल्जिमान निशा को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अधिक मारपीट परेशान करने लगे। दुर्घटना से करीब दो माह पूर्व वह, चन्द्रशेखर, मौजीराम आदि लोग मौहल्ला गढीराई साहिबा कस्बा राजा का रामपुर में अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व उनके परिवारवालो को समझाने बुझाने आये थे। अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व गीता व उनके घरवाले घर पर मिले। मौजीराम ने अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार देने में असमर्थता जताते हुए अभिषेक वगैरहा को समझाया तो मुल्जिमान ने यह साफ कह दिया गया कि अल्टो कार जब तक नहीं मिलेगी। हम निशा को अपने घर पर नहीं रख पायेगे। गीता व ग्रीश चन्द्र ने यह भी कहा था कि हम निशा को अपने घर से निकालकर अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेगे। निशा से उसकी भी एक दो बार बातचीत हुई थी तो निशा ने उसे भी बताया कि उसके सास ससुर व पति अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते है। पंचायत के करीब दो महीने बाद और आज (बयान होने के दिनांक को) से करीब पौन सात साल पहले अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व गीता ने अपने घर में निशा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था, जिसकी सूचना गांव में आयी थी और यह बताया था कि निशा जली हुई अवस्था में लोहिया अस्पताल में है। इस सूचना पर वह, मौजीराम व चन्द्रशेखर व मौजीराम के घर वालों व गांव के कुछ लोग छोटा हाथी से रामपुर होते हुए लोहिया अस्पताल पहुंचे। लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद में निशा हम लोगो को मृत अवस्था में मिली।

48– साक्षी राजीव कुमार (पी०डब्लू०–3) ने जिरह के पेज क्रमांक 4 में कथन किया है कि जब उसे यह सूचना मिली तब वह घर पर था, सुबह पांच सवा पांच के करीब मौहल्ले के लोग इनके के घर बाहर इकट्ठे थे तो वह भी वहां पहुंच गया। निशा जल गयी है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। करीब आधे पौन घण्टे बाद वहां से अस्पताल लेकर चले गये। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 6 मे कथन किया है कि निशा के लगभग पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। उसने निशा के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं देखा, जलने के निशान थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि निशा के जलने में उसके ससुर ग्रीश चन्द्र तिवारी व गीता तिवारी(सास) जल गयी हो। शादी के सवा साल बाद निशा खत्म हो गयी थी। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 8 में कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि निशा को फर्रूखाबाद राममनोहर लोहिया अस्पताल में उसके ससुर ग्रीश चन्द्र द्वारा दाखिल किया गया हो।

49– अभियोजन द्वारा मृतका के शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सक साक्षी डा० नीरज कुमार (पी०डब्लू०-4) को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि विच्छेदन के समय उसने सील दुरुस्त पाई। मृतका के शरीर के ऊपरी हिस्से में व निचले हिस्से के अकड़न

मौजूद थी। मृतका के शरीर पर Ointment का लेप था। विच्छेदन के समय उसने मृत्यु पूर्व मृतका के पूरे शरीर पर Superficial Deep burn पेट का बीच का भाग और पैरों के पंजे व तलों को छोड़कर जलना पाया था तथा मृतका की त्वचा (खाल) काली पड़ गई थी एवं जगह–जगह से उधड़ी हुई थी। त्वचा के निचले भाग पर लालिमा मौजूद थी। मृतका के शरीर के बाल जले हुये एवं उसके शरीर से चिपके हुये थे। इसके अतिरिक्त एक कटा हुआ घाव 0.5 सेमी x0.2 सेमी मास तक गहरा, ऊपरी होंठ के बीच पाया गया था। मृतका की मृत्यु उसकी राय में मृत्यु पूर्व उसके शरीर पर पाई गई चोटों एवं जो जलने से आई थी एवं सदमे में होना सम्भव थी। उसकी राय में मृतका की मृत्यु 24.08.2015 की सुबह 08:30 बजे उसके शरीर पर आई जलन के कारण मृत्यु होना सम्भव थी। उक्त साक्षी के द्वारा शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है।

50– साक्षी डा० नीरज कुमार (पी०डब्लू०-4) के द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि उसने प्राप्त प्रपत्र राममनोहर लोहिया चिकित्सालय में दर्ज मृत्यु समय 8:50 ए०एम० दिनांक 24.08.2015 के आधार पर ही अपनी पी०एम०आर० रिपोर्ट में मृत्यु का समय 08:50 ए०एम० लिखा है। वह Anti Mortem Injury no. 1 को देखकर नहीं बता सकता कि मृतका ने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी या उसे जलाया गया। Anti Mortem injury no–2 व्यक्ति के जलने पर इधर–उधर भागने पर किसी चीज के टकराने से यह चोट आ सकती है। इस साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अस्पताल से प्राप्त सूचना के आधार पर गलत पी०एम०आर० तैयार की गई है।

51– विवेचनाधिकारी आशाराम अहरवार (पी०डब्लू०-5) के द्वारा मुख्य परीक्षा में विवेचना के दौरान एकत्र की गयी साक्ष्य तथा नक्शा नजरी को प्रदर्श क-4, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-2, आरोप पत्र को प्रदर्श क-5 एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 4 एवं 5 में कथन किया है कि उसकी विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में नहीं आया कि मृतका निशा को घायल अवस्था में राममनोहर लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद कौन लेकर आया था। इस सम्बन्ध में वादी व अन्य गवाहन ने कुछ नहीं बताया था। उसे दिये गये बयानो में मौजीराम ने उसके अस्पताल पहुंचे के पहले निशा की मृत्यु होना बताया था। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 6 में कथन किया है कि वादी व गवाहान ने उसे नहीं बताया कि निशा की मृत्यु की सूचना किस मोबाइल पर प्राप्त हुई थी। अपनी तहरीर में वादी ने अपना मोबाइल नम्बर 9536630351 अंकित किया है। उसने विवेचना में उक्त मोबाइल नम्बर की कॉल डिटेल नहीं निकलवायी है। उक्त साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 7 में कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 25.08.2015 को ही मौके से पांच लीटर कट्टी व एक छोटी पॉलिस्टर जली हुई रंग गुलाबी नीला व हरा बरामद किया था। यह उसने आंगन से चीजे बरामद की थी। इस साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक 8 मे कथन किया है कि उसके द्वारा विवेचना में ग्रीश चन्द्र तिवारी व गीता तिवारी को कैसे चोटे आयी, जानकारी नहीं की गयी थी।

52– अभियोजन के द्वारा साक्षी राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (पी०डब्लू०–6) को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया है तथा सी०एम०ओ० चिटठी, चालान नाश व पुलिस फार्म को प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि चिटठी सी०एम०ओ० पुलिस सूचना में किस व्यक्ति द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वह कॉलम खाली है, इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि मृतका के परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया या फिर उसके ससुरालीजन द्वारा भर्ती किया गया।

53– अभियोजन पक्ष की ओर से एफ०आई०आर० लेखक विकास बाबू (पी०डब्लू०–7) को परीक्षित करायाग या है, जिसमें उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–11 एवं जी०डी० को प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि तहरीर से पूर्व पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो चुकी थी।

54– हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श क-1 की शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-11 में वादी मुकदमा चन्द्रशेखर (पी०डब्लू०-1) के द्वारा लेख कराया गया है कि उसकी बहन निशा की शादी दिनांक 18.05.2014 को पर्याप्त दान दहेज देकर अभिषेक उर्फ रिंकू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन निशा को पति अभिषेक, ससुर ग्रीश चन्द्र व सास गीता व पुत्री पिंकी, रिंकी, अंजली, आशू व टिंकू द्वारा अल्टो गाडी की मांग को लेकर काफी तंग व परेशान किया जाने लगा। उपरोक्त सभी ससुरालीजनों ने योजना बनाकर उसकी

बहन को दिनांक 23/24.08.2015 की रात्रि में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। विवेचना उपरान्त विवेचक के द्वारा अभियोग पत्र प्रदर्श क-5 प्रस्तुत किया गया जिसमें अभियुक्त पिंकी उर्फ किरन, रिंकी उर्फ ज्योति, कुमार अंजली पुत्री ग्रीश चन्द्र व आशू उर्फ आशुतोष तिवारी व टिंकू उर्फ पिंकू उर्फ शिवनारायन पुत्रगण ग्रीश चन्द्र के विरुद्ध साक्ष्य न पाये जाने के कारण अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता के विरुद्ध दिनांक 19.07.2016 को आरोप विरचित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अनुसार मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व जलने के कारण सदमें में आने से हुयी है।

55– जहाँ तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मृतका की मृत्यु दहेज मृत्यु की परिभाषा में नहीं आती है, क्योंकि मृतका के द्वारा आत्महत्या कारित की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2013) 16 एस०सी०सी० 353** अवलोकनीय है, जिसके **पैरा–27** में अवधारित किया गया है कि–

> **"Importantly, Section 304-B of the IPC does not categorize death as homicidal or suicidal or accidental. This is because death caused by burns can, in a given case, be homicidal or suicidal of accidental. Similarly, death caused by bodily injury can, in a given case, be homicidal or suicidal or accidental. Finally, any death occurring "otherwise than under normal circumstances" can, in a given case, be homicidal of suicidal or accidental. Therefore, if all the other ingredients of Section 304-B of the IPC are fulfilled, any death (whether homicidal or suicidal or accidental) and whether caused by burns or by bodily injury or occurring otherwise than under normal circumstances shall, as per the legislative mandate, be called a "dowry death" and the woman‟s husband or his relative "shall be deemed to have caused her death". The Section clearly specifies what constitutes the offence of a dowry death and also identifies the single offender or multiple offenders who has or have caused the dowry death."**

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में वर्तमान मामले में मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुयी है, इसलिए दहेज मृत्यु की श्रेणी में आती है।

56– जहां तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त अभिषेक घटना के समय घर पर नहीं था और बचाव साक्षी सुरेश सिंह राठौर (डी०डब्लू०–01) के द्वारा भी न्यायालय में स्पष्ट कथन किया गया है कि घर पर ग्रीश तिवारी का बेटा अभिषेक नहीं था।

57– जहां तक साक्षी सुरेश सिंह राठौर के उक्त कथन तथा बचाव पक्ष के तर्क का संबंध है इस संबंध में उल्लेखनीय हो कि अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता जो अन्यत्र उपस्थित रहने का अभिवाक् लेता है।

58– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजेश कुमार बनाम धर्मवीर (1997) 4 एस०सी०सी० 496** में अवधारित किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अन्यत्र उपस्थित रहने के अभिवाक् को पूर्णरूप से तथा निश्चितता से साबित किया जाना चाहिए, जो घटना के समय तथा स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को विवर्जित करे। इस मामले में बचाव साक्षी ने कहा था कि घटना के सुसंगत समय पर आरोपी अपने कार्यालय में था, परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः यही माना गया कि आरोपी को अन्यत्र उपस्थिति का बचाव नहीं दिया जा सकता।

59– इसी प्रकार न्याय दृष्टान्त **ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2012) 5 एस०सी०सी० 201** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्यत्र उपस्थिति के बचाव को पहली बार उपस्थित होते ही लिया जाना चाहिए तथा मजबूत साक्ष्य के द्वारा उसे साबित भी किया जाना

चाहिए। आरोपी के द्वारा उसे हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए तथा साक्ष्य के अभाव में इस बचाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

60– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अभिषेक की ओर से अन्यत्र उपस्थित रहने बावत कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त घटना के समय कहां पर था, इसके सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य अभियुक्त अभिषेक की ओर से पत्रावली पर नहीं लायी गयी है। इसलिए अन्यत्र उपस्थित रहने के अभिवाक को बचाव पक्ष द्वारा साबित नहीं किया जा सका है।

61– इस प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका को बचाते समय उसके ससुर ग्रीश एवं सास गीता देवी के हाथ भी जल गये थे तथा मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के द्वारा आवेदन पत्र कागज संख्या 96 ब/1 के माध्यम से कागज संख्या 96 ब/2 लगायत 96 ब/6 प्रस्तुत किया गया है। परन्तु उक्त दस्तावेजों को साबित कराने के लिए किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इसलिए उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियुक्त ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता देवी को दिनांक 26.08.2015 को समय सुबह 06:30 बजे गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख गिरफ्तारी मीमो है। उसके बाद उक्त दोनो अभियुक्तों का दिनांक 26.08.2015 को सुबह 11:50 बजे चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। अभियुक्त ग्रीश चन्द्र तिवारी के हाथ में बर्न इंजरी का उल्लेख है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 23/24.08.2015 के रात्रि की है। जब घटना के समय अभियुक्त ग्रीश तिवारी का हाथ जल गया था और उन्हीं के द्वारा मृतका को अस्पताल में भर्ती कराये जाने का बचाव लिया गया है तब ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक को उनके द्वारा कोई इलाज कराया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय फर्रूखाबाद के द्वारा मृतका के मृत्यु की सूचना (कागज संख्या 12 अ) जो पुलिस को भेजी गयी है, उसमें किस व्यक्ति के द्वारा मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसका उल्लेख नहीं है।

62– अभियुक्तगण की ओर से विधि व्यवस्था **राजेश चड्ढा (उपरोक्त)** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय न्यायालय द्वारा पैरा 14 में अवधारित किया गया है कि-

> 14. The term “cruelty” is subject to rather cruel misuse by the parties, and cannot be established simpliciter without specific instances, to say the least. The tendency of roping these sections, without mentioning any specific dates, time or incident, weakens the case of the prosecutions, and casts serious suspicion on the viability of the version of a Complainant. We cannot ignore the missing specifics in a criminal complaint, which is the premise of invoking criminal machinery of the State. Be that as it may, we are informed that the marriage of the Appellant has already been dissolved and the divorce decree has attained finality, hence any further prosecution of the Appellant will only tantamount to an abuse of process of law.

उपरोक्त विधि व्यवस्था के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग है। इस प्रकरण में अभियुक्तगण के ऊपर मृतका के साथ दहेज की मॉग को लेकर क्रूरता कारित कर दहेज हत्या किये जाने का आरोप है, इसलिए वर्तमान मामले में उपरोक्त विधि व्यवस्था लागू नहीं होती है।

63– अभियोजन साक्षी चन्द्रशेखर (पी०डब्लू०-1), मौजीराम (पी०डब्लू०-2) एवं राजीव कुमार (पी०डब्लू०-3) के द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्टतः कथन किया गया है कि जब वह अस्पताल फर्रूखाबाद में पहुंचे तो वहां पर मृतका के ससुरालीजन नहीं थे। मृतका की लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। यदि अभियुक्त ग्रीश तिवारी के द्वारा मृतका को राममनोहर लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद में भर्ती कराया गया तो मृतका के भाई, पिता एवं अन्य लोगों के पहुंचने पर अस्पताल में मौजूद न होना। उनके कथन को अविश्वसनीय बनाता है। मृतका की मृत्यु के बाद अस्पताल से चले जाना घटना में उनकी संलिप्तता को प्रकट करता है और यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत पश्चावर्ती आचरण के रूप में सुसंगत तथ्य है।

64– विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 तैयार किया गया है, जिसमें एक्स स्थान पर खुला आंगन दिखाया गया है और यह भी बताया गया है कि उसी स्थान पर पीड़िता

जलायी गयी थी। इस प्रकार नक्शा नजरी के अनुसार पीड़िता खुले आंगन में जली और फर्द बरामदगी प्रदर्श क-2 के अनुसार धोती पॉलिस्टर जली हुई रंगी गुलाबी, नीला व हरा रंग की पॉलीथिन में रखी है, पांच लीटर की प्लास्टिक की कट्टी रंग पीला मटमैला ढक्कन लगा हुआ तथा अन्दर करीब 50 ग्राम मिट्टी का तेल बरामद हुआ। अधजला टुकडा धोती एवं प्लास्टिक की कट्टी को जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-6 के अनुसार 1 व 2 अंकित प्रदर्शो में पृथक पृथक विश्लेषण द्वारा मिट्टी का तेल (कैरोसिन आयल) के अंश पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु कैरोसिन आयल से जलने के कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका के पूरे शरीर पर सुपर फीसिअल डीप बर्न के निशान पाये गये थे और ऊपरी होठ के बीच में फटा हुआ घाव 0.5 X 0.2 से०मी० का पाया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व मारपीट कर क्रूरता कारित की गयी।

65– अभियोजन साक्षी राजीव कुमार (पी०डब्लू०-3) के द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्टतः कथन किया गया है कि "**निशा से उसकी भी एक दो बार बात हुई थी तो निशा ने उसे भी बताया था कि उसके सास ससुर व पति अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते है।**" उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया है कि "**पंचायत के करीब दो महीने बाद और आज से करीब पौने सात साल पहले अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व गीता ने अपने घर में निशा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था, जिसकी सूचना गांव में आयी थी और यह बताया था कि निशा जली हुई अवस्था लोहिया अस्पताल में है।**" अभियुक्तगण की ओर से उक्त साक्षी के कथन का खण्डन नहीं किया जा सका है। उक्त साक्षी के द्वारा घटना में अभियुक्त अभिषेक, ग्रीश चन्द्र व गीता की संलिप्तता को स्पष्टतः प्रकट किया गया है। वादी मुकदमा चन्द्रशेखर (पी०डब्लू०-1) के द्वारा भी न्यायालय के समक्ष कथन किया गया है कि ''**निशा के साथ मारपीट करते थे। इसकी शिकायत निशा ने फोन द्वारा उससे व उसके मॉ-बाप से की थी। वह व उसके पिता जी गॉव के मोहित, निशा के ससुराल उन्हें समझाने गये। हमने कहा कि हम अल्टो कार देने की स्थिति में नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परन्तु ये लोग नहीं माने।**'' अभियोजन साक्षी मौजीराम (पी०डब्लू०-2) के द्वारा भी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "**निशा की सूचना पर उसका पुत्र चन्द्रशेखर, मोहित, राजीव, विवेक आदि को लेकर निशा के ससुराल गये और निशा के ससुराल वालों को उसका पुत्र ने समझाया कि हमारी स्थिति अतिरिक्त दहेज में अल्टो कार देने की नहीं है। इस पर निशा के ससुरालवालों ने कोई बात नहीं मानी और निशा को अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर अभिषेक वगैरा निशा को मारपीट, तंग व परेशान करते रहे।**" उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मृतका से अतिरिक्त दहेज की मॉग लगातार की जाती रही है। अभियोजन साक्षीगण चन्द्रशेखर (पी०डब्लू०-1), मौजीराम (पी०डब्लू०-2) एवं राजीव कुमार (पी०डब्लू०-3) ने अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में अल्टो कार की मांग किया जाना और दिनांक 23/24.08.2015 को अभियुक्तगण द्वारा निशा को जलाकर मार डालने के सम्बन्ध में विशिष्टतः कथन किया है। उक्त साक्षीगण के कथनो में ऐसा कोई विरोधाभास या लोप बचाव पक्ष द्वारा नहीं लाया गया है, जो अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता हो। उपरोक्त साक्षीगण के कथनों से स्पष्ट है कि मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व दहेज की मॉग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा और उसके साथ क्रूरता कारित की जाती रही है।

66– अभियुक्तगण की ओर से बचाव में साक्षी दिनेश सिंह राठौर (डी०डब्लू०-1) को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक को ग्रीश तिवारी के घर के बाहर भीड़ लगी हुयी थी। बहुत लोग इकटठे थे, तो पता चला कि इनकी पुत्रवधू को आग लग गयी है। उस समय औरते बहू से पूछ रही थी कि क्या बात हो गयी, कैसे जल गयी। बहू ने कहा कि वह चाय बना रही थी, उसी समय उसके कपड़ों में आग लग गयी और वह जल गयी। पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श क-6 के अनुसार अधजले टूकड़े धोती एवं वस्त्र पर मिटटी के तेल के अंश पाये गये थे। अभियोजन साक्षी राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (पी०डब्लू०-6) के द्वारा न्यायालय के समक्ष बताया गया है कि मृतका 95 प्रतिशत जली हुयी थी। ऐसी अवस्था में मृतका के द्वारा स्वयं यह कहना कि वह जल गयी है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन साक्षीगण से जिरह में यह सुझाव दिया गया है कि पीड़िता की शादी उसकी मर्जी के बिना हुयी थी, जिससे परेशान होकर उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। द०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तगण के कथन के प्रश्न नं०-22 में भी बचाव लिया गया है कि

मृतका निशा की शादी उसके पिता व भाई ने उसकी मर्जी के बिना की, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित साक्षी सुरेश सिंह राठौर (डी०डब्लू०-1) के द्वारा कथन किया गया है कि मृतका ने कहा था कि वह चाय बना रही थी, जिससे कपड़े में आग लग गयी और वह जल गयी। अभियुक्तगण की ओर से एक तरफ यह बचाव लिया गया है कि मृतका ने आत्महत्या की है, दूसरी तरफ बचाव साक्षी का यह कथन है कि मृतका ने कहा था कि वह चाय बना रही थी, जिससे कपड़े में आग लग गयी, दोनों विरोधाभासी तथ्य है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अभियुक्तगण के द्वारा खण्डन नहीं किया जा सका है।

67– माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **पठान हुसैन बाशा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2012) 8 एस०सी०सी० 594** के **पैरा 17** में अवधारित किया गया है कि–

> **"Applying these principles to the facts of the present case, it is clear that the ingredients of Section 304B read with Section 498A IPC are completely satisfied in the present case. By a deeming fiction in law, the onus shifts on to the accused to prove as to how the deceased died. It is for the accused to show that the death of the deceased did not result from any cruelty or demand of dowry by the accused persons. The accused did not care to explain as to how the death of his wife occurred. Denial cannot be treated to be the discharge of onus. Onus has to be discharged by leading proper and cogent evidence. It was expected of the accused to explain as to how and why his wife died, as well as his conduct immediately prior and subsequent to the death of the deceased. Maintaining silence cannot be equated to discharge of onus by the accused. In the present case, the prosecution by reliable and cogent evidence has established the guilt of the accused. There being no rebuttal thereto, there is no occasion to interfere in the judgments of the courts under appeal."**

68– इस प्रकरण में भी अभियोजन के द्वारा दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में पत्रावली पर जो साक्ष्य लायी गयी है, उसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा कोई स्पष्टीकरण तथा खण्डन नहीं किया जा सका है।

69– हस्तगत प्रकरण में दहेज की मांग एवं क्रूरता के संबंध में वादी मुकदमा चन्द्रशेखर (पी०डब्लू०-1), साक्षी मौजीराम (पी०डब्लू०-2) एवं साक्षी राजीव कुमार (पी०डब्लू०-3) के द्वारा न्यायालय में कथन किया गया है कि अतिरिक्त दहेज के रूप में अल्टो कार की मांग अभियुक्तगण के द्वारा की गई थी। शिकायत प्रदर्श क-1 में भी इस बात का उल्लेख है कि शादी के समय सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था। उसके बावजूद अल्टो कार की मांग अभियुक्तगण द्वारा की जा रही थी। उक्त तथ्य से प्रकट है कि अभियुक्तगण के द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में अल्टो कार मांग की जाती रही है और मृतका के साथ क्रूरता की जाती रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अनुसार मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व जलने के कारण सदमें से हुई है।

70– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु के पूर्व अभियुक्त अभिषेक, ग्रीश एवं गीता के द्वारा दहेज की मांग की जाती रही है। मृतका की मृत्यु के पूर्व अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ क्रूरता किए जाने का साक्ष्य पत्रावली में विद्यमान है। अतः अभियोजन दहेज मृत्यु के दो महत्वपूर्ण तत्व- 'दहेज की मांग' एवं मृत्यु से कुछ पूर्व मृतका के साथ 'क्रूरता' अभियुक्तगण के द्वारा कारित किया जाना साबित किया है।

वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

71– प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304 बी,498 ए भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक रूप से धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज मृत्यु के आरोपों को साबित किया गया है। जहां तक धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के आरोप का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन के द्वारा न तो कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है और न ही ऐसी परिस्थितियां या तथ्य न्यायालय के समक्ष लाया गया है जिसके

आधार पर धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० का अपराध भी अभियुक्तगण के विरुद्ध आकर्षित होता हो। चूंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह निष्कर्षित किया जा सके कि अभियुक्तगण का मामला धारा 302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आता है। अतः धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० का अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका है।

72– उपरोक्त किए गए सम्यक विश्लेषण के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका निशा को विवाह के उपरान्त दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है और दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से पूर्व क्रूरता कर दहेज मृत्यु कारित की गयी।

73– इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यों व उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता के द्वारा मृतका निशा की दहेज मृत्यु कारित की गई व अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। दहेज देने या लेने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है, इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है। दहेज मांगने की साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० (वैकल्पिक आरोप) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत दोषमुक्त एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, धारा 304 बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

–आदेश–

अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता को सत्र परीक्षण संख्या–40/2016, मुकदमा अपराध संख्या–253/2015, थाना- राजा का रामपुर, जनपद- एटा के आरोप अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 498 ए, 304 बी** व **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के दण्डनीय अपराध में **दोषसिद्ध** तथा भा०दं०सं० की धारा 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० (वैकल्पिक आरोप) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के दण्डनीय अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता पूर्व से जमानत पर है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। उनके जमानतनामे व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता को जिला कारागार, एटा अभिरक्षा में भेजा जाये।

अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता को दोषसिद्ध किया गया है तथा दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 10–07–2026 को पेश हो तथा अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता को जिला कारागार से तलब किया जाये।

दिनांक–08.07.2026

(कमालुद्दीन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code–UP2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–08.07.2026

(कमालुद्दीन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code–UP2690

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।</u>
<u>उपस्थितः कमालुद्दीन : उच्चतर न्यायिक सेवा</u>

J.O.Code U.P. 2690
UPET010009132016

<u>सत्र परीक्षण संख्या– 40/2016</u>

उत्तर प्रदेश राज्य

............................अभियोजन।

–बनाम–

1– अभिषेक उर्फ रिंकू पुत्र ग्रीशचन्द्र
2– ग्रीश चन्द्र पुत्र रूपनरायन
3– श्रीमती गीता पत्नी ग्रीशचन्द्र
निवासीगण–गढ़ी रानी साहिबा, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा।

.........................अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–253/2015
धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना– राजा का रामपुर, जनपद– एटा।

<u>10–07–2026</u>

पत्रावली आज दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पेश।

दोषसिद्धिगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता जिला कारागार, एटा से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्धिगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क श्रवण किये गये।

दोषसिद्धिगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि दोषसिद्धिगण का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्धि अभिषेक काफी लम्बे समय तक जिला कारागार में रह चुका है। दोषसिद्धि ग्रीशचन्द्र की आयु लगभग 70 वर्ष है तथा बीमार रहते हैं तथा दोषसिद्धि श्रीमती गीता की आयु भी लगभग 67 वर्ष है और वह कई बीमारियों से ग्रसित है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अतः दोषसिद्धिगण के प्रति नरम रुख अपनाने तथा दण्डादेश पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की याचना की गई है और दोषसिद्धिगण को कम से कम सजा एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धिगण के विरूद्ध दहेज मृत्यु का अपराध साबित है, इसलिए दोषसिद्धि को अधिक से अधिक सजा दी जाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **एलिस्टर अन्थोनी परेरा बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र (2012) 2 एस०सी०सी० 648** में दण्ड के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक मामलें में दण्डादेश पारित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपराधिक विधि का एक मुख्य उददेश्य यह है कि सिद्धदोष को उपयुक्त, पर्याप्त, न्यायोचित व सदृश दण्ड दिया जाये, जो अपराध की प्रकृति, उसकी गम्भीरता और उसे कारित करने के तरीके के अनुरूप हो।

उभयपक्ष को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया तथा अभिलेख का समुचित अवलोकन किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में दोषसिद्धिगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498 ए के अंतर्गत 2–2 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/–, 10,000/–रुपये (दस–दस हजार

रूपये) तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 2–2 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/–,10,000/–रुपये (दस–दस हजार रूपये) से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

–दण्डादेश–

दोषसिद्धिगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है–

क्रम सं०	दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम	धारा	कारावास/ सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास
1	**अभिषेक उर्फ रिंकू पुत्र ग्रीशचन्द्र निवासी–गढ़ी रानी साहिबा, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा।**	धारा 304 बी भा०दं०सं०	10 वर्ष सश्रम कारावास	––––	––––
		धारा 498 ए भा०दं०सं०	2 वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– (दस हजार रुपये)	1 माह का अतिरिक्त कारावास
		धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	2 वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– (दस हजार रुपये)	1 माह का अतिरिक्त कारावास
2	**ग्रीश चन्द्र पुत्र रूपनरायन निवासी–गढ़ी रानी साहिबा, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा।**	धारा 304 बी भा०दं०सं०	10 वर्ष सश्रम कारावास	––––	––––
		धारा 498 ए भा०दं०सं०	2 वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– (दस हजार रुपये)	1 माह का अतिरिक्त कारावास
		धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	2 वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– (दस हजार रुपये)	1 माह का अतिरिक्त कारावास
3	**श्रीमती गीता पत्नी ग्रीशचन्द्र निवासी–गढ़ी रानी साहिबा, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा।**	धारा 304 बी भा०दं०सं०	10 वर्ष सश्रम कारावास	––––	––––
		धारा 498 ए भा०दं०सं०	2 वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– (दस हजार रुपये)	1 माह का अतिरिक्त कारावास
		धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	2 वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– (दस हजार रुपये)	1 माह का अतिरिक्त कारावास

दोषसिद्धिगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता की उपरोक्त सभी कारावासीय सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के प्रावधानानुसार दोषसिद्धिगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को उसकी कारावास की अवधि से मुजरा किया जावे।

माल मुकदमाती बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित की जावे।

दोषसिद्धिगण को सूचित किया जाता है कि वे इस निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में नियत अवधि के अंदर अपील योजित करने का अधिकार रखता है। यदि वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

दोषसिद्धिगण अभिषेक उर्फ रिंकू, ग्रीश चन्द्र एवं श्रीमती गीता को सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जावे। निर्णय एवं दण्डादेश की एक–एक प्रति दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदाय की जाये तथा निर्णय की एक प्रति जिला कारागार को प्रेषित की जावे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 365 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 406) के अनुपालन में निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, एटा को प्रेषित की जावे।

<u>दिनांक–10.07.2026</u>

(कमालुद्दीन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code–UP2690

आज यह दण्डादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

<u>दिनांक–10.07.2026</u>

(कमालुद्दीन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code–UP2690